https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

विशेषांक

कमल संदेश

वर्ष-13, अंक-09 01-15 मई, 2018 (पाक्षिक) ₹20

जस्टिस लोया केस
सच की जीत, झूठ धराशायी

कांग्रेस द्वारा गढ़ा 'भगवा आतंकवाद' का मिथक हुआ बेनकाब

संविधान बचाओ या परिवार बचाओ?

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्‌घाटन

निप्पाणी, बेलगावी (कर्नाटक) में विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

गोकक, बेलगावी (कर्नाटक) में रोड शो के दौरान जनाभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

मुधोल (कर्नाटक) में शक्ति केंद्र प्रमुखों को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

नव–कर्नाटक निर्माण हेतु भाजपा घोषणापत्र के लिए बुद्धिजीवियों से महत्वपूर्ण सुझावों को प्राप्त करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और कर्नाटक के भाजपा नेतागण

रायबरेली में सम्पन्न रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते उप्र भाजपा नेतागण

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 गरीबों का उत्थान, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारीः नरेंद्र मोदी

ब्रिटेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'भारत की बात, सबके साथ' कार्यक्रम के तहत न केवल प्रभावशाली संबोधन किया...

वैचारिकी
भारतीय संस्कृति में अर्थ 26

श्रद्धांजलि
भैरोंसिंह शेखावत 28

लेख
जस्टिस लोया केस – जो लगभग न्यायिक विद्रोह था 30

अन्य
सिद्धारमैया सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में पूरी तरह विफल 21
झारखंड नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत... 22
ट्रेन के डिब्बों में एक लाख पच्चीस हजार जैव शौचालय लगाए गए 24
11 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वितः नरेन्द्र मोदी 25
प्रधानमंत्री द्वारा डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन 29
भारत और ब्रिटेन के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर 32

स्थायी स्तंभ
सोशल मीडिया से 04
व्यंग्य चित्र 04
पत्र-पत्रिकाओं से 16

17 कांग्रेस द्वारा गढ़ा 'भगवा आतंकवाद' का मिथक हुआ बेनकाब

16 अप्रैल 2018 के मक्का मस्जिद मामले में जब कोर्ट का फैसला आया...

19 संविधान बचाओ या परिवार बचाओ?

कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से देश में घृणा और विद्वेष की राजनीति शुरू की है।

23 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार में मृत्युदंड तक की सजा

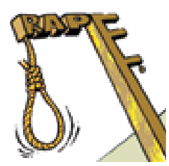

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी...

24 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

गोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश-2018 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

यूपी का चौतरफा विकास हमारी प्राथमिकता है, हम प्रदेश के गांव, गरीब और किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं।

@rajnathsingh

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है बल्कि एक गंभीर संदेश भी देता है कि राजनीतिक विद्वेष से आरोप लगाकर न्यायापालिका को भ्रमित नहीं किया जा सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झूठे आरोपों के आधार पर भाजपा के शीर्ष नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है।

@myogiadityanath

समाज और राष्ट्र को मजबूत आधार प्रदान करने में शिक्षा का विशेष महत्व है। गीता में भी इसका उल्लेख है कि किसी को ज्ञानवान बनाना सबसे पुनीत कार्य है। हम सभी का उद्देश्य होना चाहिये कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाकर 'खूब पढ़ो, आगे बढ़ो' के संकल्प को पूरी तरह साकार करें।

facebook

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयासरत सभी ग्राम, तालुका और जिलों जैसी पंचायती राज संस्थानों को मैं उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है और इसी को केंद्र में रखकर पंचायती राज संस्थान को सशक्त करना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है जिससे हम जन-जन को विकास में भागीदार बना कर ग्रामोदय से भारत उदय का सपना साकार कर पाएंगे।

— अमित शाह

कांग्रेस संविधान के नाम पर एक परिवार को बचाने का प्रयास कर रही है, इस पार्टी ने अनेकों बार संविधान व संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाया है, राजनैतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस देश को कमजोर करने के लिये न्यायपालिका पर आरोप लगाकर निम्न स्तर की राजनीति कर रही है।

— पीयूष गोयल

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
शनि जयंती
की हार्दिक शुभकामनाएं!

जस्टिस लोया केस

पराजित हुई झूठ-फरेब की राजनीति

न्याय के सर्वोच्च मंदिर में झूठ और फरेब की षड्यंत्रकारी राजनीति पुनः पराजित हुई। देश में जहरीले प्रोपेगंडा के माध्यम से संदेह के बीज बोने के हथकंडों का पर्दाफाश हो गया है। जस्टिस लोया के मौत के इर्द-गिर्द बेसिर-पैर के दावों पर गढ़े गये निराधार आरोप सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वस्त कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपों को न केवल सिरे से खारिज किया, बल्कि इसे न्यायपालिका पर हमला भी बताया। कांग्रेस और इसके प्यादों द्वारा रचे गये राजनैतिक षड्यंत्र को न्यायालय ने बेनकाब कर धराशायी कर दिया है। यह उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो यह समझते है कि न्यायपालिका पर षड्यंत्रों एवं झूठी प्रोपेगंडा से दबाव बनाकर अपना हित साधा जा सकता है। एक बार फिर से न्यायपालिका ने इन षड्यंत्रकारियों के हाथों का खिलौना बनने से इंकार कर दिया है, तथा दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए सच को पूरे देश के सामने लाया है। इतना ही नहीं देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन षड्यंत्रकारियों को उनके शरारतपूर्ण राजनैतिक मंशा, जनहित याचिका के प्रावधानों का दुरुपयोग तथा न्यायपालिका पर हमले के लिए जमकर फटकार लगाई है। इस षड्यंत्रकारी राजनीति के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनकी अब यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस कृत्य के लिए वे तत्काल पूरे देश से माफी मांगे।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों ने निराधार आरोपों एवं मनगढ़ंत किस्सों के द्वारा पूरे देश में संदेह एवं अविश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास किया है ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके। परंतु शायद वे बार-बार पिछले अनुभवों को भूल जाते हैं जब उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। वास्तव में यदि देखा जाये, जब भी इन्होंने राजनैतिक कारणों से भाजपा नेतृत्व पर निशाना साधा, ये बुरी तरह विफल हुए हैं। किसी भी भाजपा नेता के विरुद्ध अपने आरोपों को साबित करने में ये हमेशा असफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसके ताजे उदाहरण हैं, जिन्हें इन्होंने दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार एवं निराधार आरोपों से घेरना चाहा परन्तु न्यायालय ने न केवल षड्यंत्रों को बेनकाब किया, बल्कि इस तरह के राजनैतिक कुचक्रों की कठोर से कठोर शब्दों में भर्त्सना की।

> कांग्रेस की यह आदत है कि जब वह सत्ता में होती है तब शक्ति का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना अपना अधिकार समझती है तथा जब सत्ता से बाहर होती है तब लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ी करती है।

जस्टिस लोया मामले में भी ठीक ही कहा गया है कि न्यायालय को राजनैतिक षड्यंत्रों का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब जबकि कांग्रेस यह समझ चुकी है कि जनता ने उसे पूरी तरह खारिज कर दिया है वह न्यायालयों का दुरुपयोग कर देश की जनता को भ्रमित करना चाहती है। इसके षड्यंत्रकारी चरित्र और भी अधिक प्रमाणित हो जाता है जब सत्ता में रहते कांग्रेस ने किस तरह 'भगवा आतंकवाद' का राप अलापा था, तथा अपनी राजनैतक रोटियां सेंकने के लिए पूरे देश को भी बदनाम करने से नहीं चूकी। अब यह साबित हो गया है कि कांग्रेस की सरकार में उच्च स्तर पर 'भगवा आतंकवाद' के नाम पर साजिश रची गई तथा कई निर्दोषों को पकड़कर यातना देकर उनसे जबरदस्ती उन बातों को कबूल करवाया गया जो उन्होंने किया ही नहीं था तथा कठोर कानून के अंतर्गत उन्हें जेल में डाल दिया गया। परंतु आज असलियत देश के सामने है। यह अपराधिक षड्यंत्र की परतें खुल चुकी हैं और सभी निर्दोषों को न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा रचा गया 'भगवा आतंकवाद' का शिगूफा सीधे-सीधे देश के राष्ट्रीय चरित्र पर हमला था, जो अब बेनकाब हो चुका है, परन्तु आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस अब तक देश से इस पर माफी मांगने से कतरा रही है।

कांग्रेस की यह आदत है कि जब वह सत्ता में होती है तब शक्ति का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना अपना अधिकार समझती है। साथ ही जब सत्ता से बाहर होती है तब लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दुष्प्रचार तथा दबाव की राजनीति से उनको प्रभावित करने का प्रयास करती है। इसने देश की हर संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाया, देश पर आपातकाल थोपा, न्यायपालिका पर हमले किये, मीडिया पर सेंसरशिप लगाया, सामाजिक कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया तथा लोकतंत्र का अपहरण करने का प्रयास किया ताकि यह सत्ता में बनी रहे। अब जबकि देश की जनता ने इसे सत्ता से बाहर कर दिया है यह तरह-तरह के प्रपंच रचकर जनता को गुमराह करना चाहती है। भगवा आतंकवाद के नाम पर पकड़े गये निरपराधों की हाल में रिहाई और जस्टिस लोया मामले में इसके द्वारा खड़े किये गये याचिकाकर्ताओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कड़ी फटकार कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक है। परंतु विडंबना है यह है कि कांग्रेस का आज का नेतृत्व इन शर्मनाक घटनाओं को भूलकर दूसरी बेशर्मी करने में विश्वास रखता है। इन्होंने कसम खा रखी है कि न तो ये सुधरेंगे, न ही संभलेंगे। दुष्प्रचार की राजनीति, राजनैतिक षड्यंत्र, झूठ एवं फरेब पर अब कांग्रेस का अटूट विश्वास बन गया है, जिसके कारण वे लगातार देश की राजनीति के हाशिये पर जनता द्वारा लगातार धकेले जा रहे हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी: नरेन्द्र मोदी

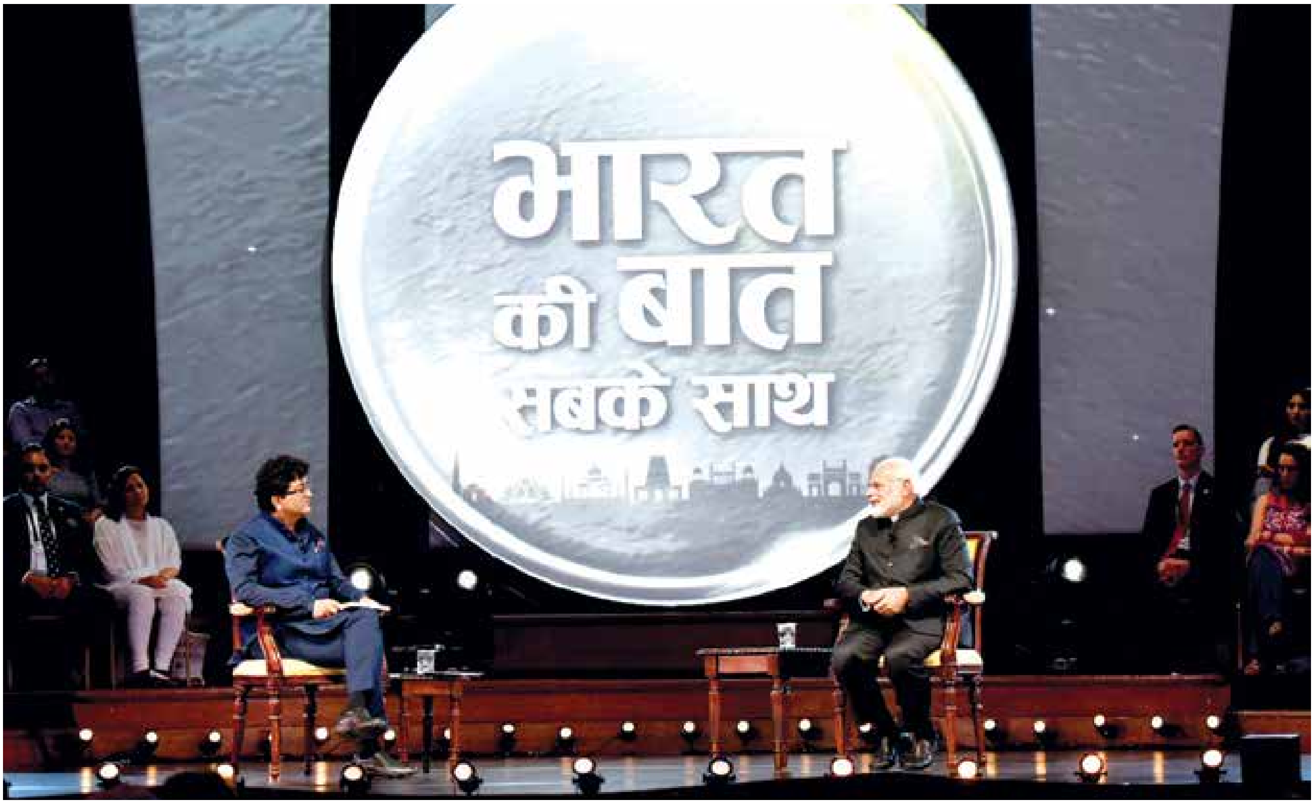

ब्रिटेन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'भारत की बात, सबके साथ' कार्यक्रम के तहत न केवल प्रभावशाली संबोधन किया, बल्कि वहां पर उपस्थित गणमान्य लोगों से संवाद भी किया। 18 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता भगवान के समान है और अगर वह चाहते हैं तो एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बन सकता है और शाही महल में 'हैंड शेक' कर सकता है। उन्होंने कहा कि सतही बदलाव से कुछ नहीं होगा। वक्त की मांग है कि विकास को जनांदोलन बनाया जाए। इस कार्यक्रम का संचालन श्री प्रसून जोशी ने किया। यहां प्रस्तुत है उनके संवाद का संपादित पाठ:

प्रसून जोशी – 'रेलवे स्टेशन' से आपका सफर शुरू होता है और आज 'रॉयल पैलेस' में आप खास मेहमान बने। इस सफर को मोदीजी कैसे देखते हैं आप?

प्रधानमंत्री – प्रसून जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है और आपने धरती की धूल से अपनी बात को शुरू किया है। आप तो कवि राज हैं तो 'रेलवे' से 'रॉयल पैलेस', ये तुकबंदी आपके लिए बड़ी सरल है; लेकिन जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पृष्ठ है, जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया और जिंदगी अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी हो सकती है। ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई और उससे निकलती हुई आवाज से मैंने बचपन से सीखा, समझा; तो वो मेरी अपनी बात है। लेकिन 'रॉयल पैलेस', ये नरेन्द्र मोदी का नहीं है। ये मेरी कहानी नहीं है।

वो 'रॉयल पैलेस' सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानियों के संकल्प का परिणाम है। रेल की पटरी वाला मोदी, ये नरेन्द्र मोदी है। 'रॉयल पैलेस' सवा सौ करोड़ हिन्दुस्तानियों का एक सेवक है, वो नरेन्द्र मोदी नहीं भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के संविधान का सामर्थ्य है, कि जहां एक ऐसा एहसास होता है, वरना जो जगह कुछ परिवारों के लिए रिजर्व रहती है, और लोकतंत्र में अगर जनता-जनार्दन, जो ईश्वर का रूप है; वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बन करके 'रॉयल पैलेस' में हाथ मिला सकता है।

प्रसून जी – ये जो व्यक्ति और नरेन्द्र मोदी, जो प्रधानमंत्री, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों एकमय हो जाते हैं, जब ऐसी जगह में आप होते हैं, या देखते हैं कि मैं एक सफर कर चुका हूं या वो एकरस हो जाता है, सब मिल जाता है, और एक ही व्यक्ति रह जाता है?

प्रधानमंत्री – ऐसा है, मैं वहां होता ही नहीं हूं। और मैं तो आदिशंकर के अद्वैत के उस सिद्धांत को, किसी जमाने से उनसे जुड़ा हुआ था तो मैं जानता हूं कि जहां मैं नहीं, तू ही तू है; जहां द्वैत नहीं है वहां द्वंद्व नहीं है, और इसलिए जहां द्वैत नहीं है, और इसलिए मैं मेरे भीतर के उस नरेन्द्र मोदी को ले करके जाता हूं तो शायद मैं देश के साथ अन्याय कर दूंगा। देश के साथ न्याय तब होता है जब मुझे अपने-आपको भुला देना होता है, अपने-आपको मिटा देना होता है। स्वयं को खप जाना होता है और तब जा करके वो पौध खिलता है। बीज भी तो आखिर खप ही जाता है, जो वटवृक्ष को पनपाता है। और इसलिए आपने जो कहा वो मैं अलग तरीके से देखता हूं।

प्रसून जी – ट्विटर पर प्रशांत दीक्षित जी हैं, जिन्होंने एक प्रश्न पूछा भी है कि बहुत काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रेलवे लाइन्स बिछ रही हैं, घर रफ्तार से बन रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले अगर हमें दो कदम चलने की आदत थी, तो मोदीजी अब हम कई गुना ज्यादा चल रहे हैं, पर फिर भी बेसब्री- अभी, अभी, अभी क्यों नहीं ... इसे कैसे देखते हैं आप?

प्रधानमंत्री – मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है- बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। हर आयु में, हर युग में, हर अवस्था में कुछ न कुछ नया करने का, नया पाने का मकसद गति देता है, वरना तो मैं समझता हूं जिंदगी रुक जाती है। और अगर कोई कहता है कि बेसब्री बुरी चीज है तो मैं समझता हूं कि अब बूढ़े हो चुके हैं। मेरी दृष्टि से बेसब्री एक तरुणाई की पहचान भी है और आपने देखा होगा, जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है; स्कूटर है तो मन करता है यार four wheeler आ जाए तो अच्छा है; ये अगर जज्बा ही नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी, तो कहेगा छोड़ो यार बस पर चले जाएंगे; तो वो जिंदगी नहीं है।

और मुझे खुशी है कि आज सवा सौ करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा, ये उभर करके बाहर आ रही है। वरना एक कालखंड था निराशा की एक गर्त में हम डूब गए थे। और ऐसा था, चलो छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं।

आपमें से जो लोग बहुत पहले भारत से निकले होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन आज से 15-20 साल पहले जब अकाल की परिस्थिति पैदा होती थी तो गांव के लोग सरकारी दफ्तर में जा करके memorandum देते थे, और क्या मांग करते थे- कि इस बार अकाल पड़ जाए तो हमारे यहां मिट्टी खोदने का काम जरूर दीजिए, और हम रोड पर मिट्टी डालने का काम करना चाहते हैं ताकि हमारे यहां कच्ची सड़क बन जाए। उस समय उतनी ही बेसब्री थी कि जरा- एक तो अकाल पड़ जाए, अपेक्षा करते थे, अकाल पड़ जाए, और मिट्टी के गड्ढे खोदने का काम मिल जाए; और फिर रोड पर मिट्टी डालने का अवसर मिल जाए।

आज मेरा अनुभव है, मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, जिसके पास single lane road है, तो वो कहता है, अरे क्या मुख्यमंत्री जी, अब डबल रोड बनाइए ना। डबल बना था, अरे साहब, अब तो, ये क्या है, पैबर रोड होना चाहिए, पैबर रोड होना चाहिए।

मुझे बराबर याद है, मैं उच्छल निर्झर, गुजरात के एक दम आखिरी छोर के तहसील थे, वहां से कुछ ड्राइवर लोग एक बार मुझे मिलने आए। वो कहते हैं हमें पैबर रोड चाहिए। मैंने कहा, यार मैं तुम्हारे इलाके में कभी स्कूटर पर घूम रहा था, मैं बस में आता था। मैं सालों तक जंगलों में काम किया हूं। तुम्हारे यहां रोड तो है।

बोले साहब, रोड तो है, लेकिन अब हम केले की खेती करते हैं और केले हमारे एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस रोड पर हम जाते हैं तो ट्रक में केले दब जाते हैं। हमारा 20% नुकसान हो जाता है, हमें पैबर रोड चाहिए ताकि हमारे केले को कोई नुकसान न हो। मेरे देश के ट्राईबल के दिल में ये पैदा होना, ये बेसब्री पैदा होना, ये मेरे लिए प्रगति के बीज बोता है। और इसलिए मैं बेसब्री को बुरा नहीं मानता।

दूसरा, आपने परिवार में भी देखा होगा- तीन अगर बेटे हैं- मां-बाप तीनों को प्यार करते हैं। लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं, अरे यार जरा देख लो। जो करेगा, उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है, यार, आज नहीं तो कल, उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ही।

तो मैं समझता हूं कि- और ये बात सही है कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है। वरना मान लिया था, पहले incremental change हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार, चलो यार हो गया। उसको होता है, अरे साहब, और पहले एक दिन में जितने रास्ते बनते थे, अब करीब-करीब तीन गुना हम बना रहे हैं, पहले जितना काम एक दिन में होता था, वो आज तीन गुना होने लगा है। रेल की पटरी डालनी हो, रेल की डबल लाइन करनी हो, solar energy लगानी हो, टॉयलेट बनाने का काम हो, हर चीज में। और इसलिए स्वाभाविक है कि देशवासियों को अपेक्षा है क्योंकि भरोसा है।

प्रसून जी – मोदीजी, लोगों की बेसब्री तो एक तरफ है, लेकिन क्या कभी आप बेसब्र हो जाते हैं, सरकारी व्यवस्था जिसके साथ आप का काम करते हैं। सरकारी कामकाज के तरीकों से, या कभी निराशा होती है कि चीजें मोदीजी के हिसाब से, उस स्पीड से नहीं चल रही हैं? वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से, जिस तरह से आपके मन में घटित होती?

प्रधानमंत्री – मैं मानता हूं जिस दिन मेरी बेसब्री खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं इस देश के काम नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे भीतर वो बेसब्री बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी ऊर्जा है, वो मुझे ताकत देती है, मुझे दौड़ाती है। हर शाम सोता हूं तो दूसरे दिन का सपना ले करके सोता हूं और सुबह उठता हूं तो लग पड़ता हूं।

जहां तक निराशा का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना, पाना, बनना होता है, तब वो आशा और निराशा से जुड जाता है। लेकिन जब आप 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' इस संकल्प को ले करके चलते हैं; मैं समझता हूं कि निराश होने का कारण नहीं बनता है।

> **हिन्दुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए। कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर-मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है, किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी।**

कुछ लोगों को कभी लगता है, छोड़ो यार कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार हैं, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर-तरीके बेकार हैं; आपको ऐसे एक set of person मिलेंगे जो यही बातें बताते हैं। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूं। मैं कभी-कभी कहता था, अगर एक गिलास आधा भरा हुआ है- तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा गिलास आधा है, दूसरा कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा- आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं- आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है।

और इसलिए, अब आप देखिए, वही सरकार, वही कानून, वही ब्यूरोक्रेट, वही तौर-तरीके; उसके बावजूद भी अगर चार साल का लेखा-जोखा लेंगे और आखिरकार आपको; मैं किसी दूसरी सरकार की आलोचना करने के लिए मंच का उपयोग नहीं करूंगा और मुझे करना भी नहीं चाहिए लेकिन समझने के लिए comparative study के लिए आवश्यक होता है कि भई गत दस साल में काम किस प्रकार से होता था उसको देखेंगे तब पता चलेगा कि चार साल में कैसे हुआ। तो आपको ध्यान में आएगा कि तब की निर्णय प्रक्रियाएं, आज की निर्णय प्रक्रियाएं; तब के एक्शन, आज के एक्शन; आपको आसमान-जमीन का अंतर दिखेगा। मतलब ये हुआ कि इन्हीं व्यवस्थाओं से, अगर आपके पास नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो, इरादे नेक हों और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' करने का इरादा हो तो इसी व्यवस्था के तहत आप इच्छित परिणाम ले सकते हैं।

ये मूलभूत मेरी सोच होने के कारण, ये तो है ही नहीं कि मैं जो चाहूं वो सब होता है, लेकिन नहीं भी होता है तो मैं निराश नहीं होता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं क्यों नहीं हुआ, आगे इसको करने का रास्ता- मैं इस तरफ गया था, जरा नए तरीके से करूंगा, मैं करके रहता हूं।

प्रसून जी – प्रियंका वर्मा जी हैं दिल्ली से। उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है।

प्रियंका- मोदीजी, I am प्रियंका from Delhi, और मेरा भी आपसे एक सवाल है कि हम Government क्यों choose करते हैं ताकि सरकार हमारे लिए काम कर सके। लेकिन जब से आप आए हैं तब से तो सिस्टम बिल्कुल बदल ही गया है। आपने तो सरकार के साथ-साथ हम जैसे लोगों को भी काम पर लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर मेरा आपसे एक सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं होता था? Thank You.

प्रधानमंत्री – प्रियंका ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और देखिए आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक। उसके पहले भी जा सकते हैं लेकिन मैं 1857 पर जाता हूं। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, सौ साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिन्दुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए। कोई न कोई देश की आजादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आजादी के लिए मर-मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है, किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आजादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आजादी की बात चलती रहती थी।

लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने इस पूरी भावना को एक नया रूप दे दिया। उन्होंने जन-सामान्य को जोड़ा। सामान्य से सामान्य व्यक्ति को कहते थे अच्छा भाई तुम्हें देश की आजादी चाहिए ना? ऐसा करो- तुम झाड़ू ले करके सफाई करो, देश को आजादी मिलेगी। तुम्हें आजादी चाहिए ना? तुम टीचर हो, अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाओ, देश को आजादी मिलेगी। तुम प्रौढ़ शिक्षा कर सकते हो, करो। तुम खादी का काम कर सकते हो, करो। तुम नौजवानों को मिला करके प्रभात फेरी निकाल सकते हो, निकालो।

महात्मा गांधी ने आजादी को जन-आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। जन-सामान्य को उसकी क्षमता के अनुसार काम दे दिया। तुम रेटियां ले करके बैठ जाओ, सूत कातो, देश को आजादी मिल जाएगी। और लोगों को भरोसा हो गया, हां यार, आजादी इससे भी आ सकती है।

मैं समझता हूं कि देश के लिए मरने-मिटने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वो आते थे शहीद हो जाते थे, फिर कोई नया खड़ा होता था, शहीद हो जाता था।

गांधीजी ने एक साथ हिन्दुस्तान के हर कोने में कोटि-कोटि जनों को खड़ा कर दिया जिसके कारण आजादी प्राप्त करना सरल हो गया। विकास भी, मैं मानता हूं जन-आंदोलन बन जाना चाहिए। सरकार विकास कर देगी; आजादी के बाद एक ऐसा माहौल बन गया, लोग आजाद हो गए, सब सरकार करेगी। गांव में एक गड्ढा भी हो, गड्ढा हुआ हो तो गांव के

हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा; ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उलटा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना सब्सिडी, क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिन्दुस्तान के करीब-करीब सवा करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। देश के लिए जीने-मरने वाले, कुछ न कुछ करने वालों की कमी नहीं है।

लोग मिलेंगे, memorandum तैयार करेंगे, एक जीप किराये पर लेंगे, तहसील के अंदर जाएंगे, memorandum देंगे। जीप किराये पर करने के खर्चे में चाहते तो वो गड्ढा भर जाता, लेकिन अब वो सरकार करेगी।

आजादी के बाद एक माहौल बन गया, ये सब कौन करेगा, सरकार करेगी। इसके कारण धीरे-धीरे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ती गई। आपने देखा- बस में व्यक्ति भी कोई जाता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा- बस में अकेला बैठा है, अगल-बगल में कोई पैसेंजर नहीं है, रास्ता काटना है तो वो क्या करता है- वो सीट के अंदर अंगुली डालता है। उसके अंदर एक छेद कर देता है, और धीरे-धीरे उसको काटता रहता है बैठा-बैठा, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जिस पल उसको पता चले कि ये बस सरकार की है, मतलब मेरी है, ये सरकार मेरी है, देश मेरा है, ये भाव लुप्त हो चुका है।

मैं चाहता हूं कि देश में ये भाव बहुत प्रबल होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र, ये कोई contract agreement नहीं है कि मैंने आज ठप्पा मारा, वोट दे दिया, अब पांच साल बेटे काम करो, पांच साल के बाद पूछूंगा क्या किया है और नहीं किया तो दूसरे को ले आऊंगा। ये labour contract नहीं है। ये भागीदारी का काम है और इसलिए मैं मानता हूं कि participative democracy इस पर बल देना चाहिए। और आपने अनुभव किया होगा जब natural calamity होती है, सरकार से ज्यादा समाज की शक्ति लग जाती है और हममें कुछ ही पलों में वो समस्या के समाधान निकालने में ताकत आ जाती है, क्यों? जनता-जनार्दन की ताकत बहुत होती है। लोकतंत्र में जनता पर जितना भरोसा करेंगे, जनता को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, परिणाम मिलेगा।

सरकार बनने के बाद मैंने टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया। आप कल्पना करें सरकार बना पाती? सरकार तो पहले पांच हजार बनाती होगी अब दस हजार बना लेती। कहेगी अरे पुरानी सरकार पांच हजार बनाती थी मोदी की दस हजार। दस हजार से काम कब पूरा होगा भाई? जनता ने उठा लिया, काम पूरा हो गया।

और जनता की ताकत देखिए, भारत में सीनियर सिटिजन के लिए रेलवे के अंदर concession है टिकटों में। मैंने आ करके सरकार में कहा कि भाई अंदर लिखो तो सही, आप जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म भरते हो, लिखो तो सही कि भई मैं सीनियर सिटिजन हूं, मुझे बेनिफिट मिलता है, लेकिन मैं मेरा बेनिफिट जाने देना चाहता हूं। सिम्पल सा था, प्रधानमंत्री के लेवल पर मैंने कभी अपील भी नहीं की थी। आप सबको आश्चर्य होगा, जो हिन्दुस्तान की विशेषता देखी है, हिन्दुस्तान के सामान्य मानवी की देशभक्ति देखी है, अभी-अभी हमने ये निर्णय किया था, अब तक 40 लाख senior citizens, जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्होंने voluntarily subsidy नहीं लेंगे, ऐसा लिख करके दिया और वो पूरी टिकट ले करके जाते हैं।

अगर मैं कानूनन करता कि आप सीनियर सिटिजन को किसी कोच में ये बेनिफिट बंद तो जुलूस निकलता, पुतले जलते और फिर? फिर popularity rating आता, मोदी गिर गया। ये दुकान चल जाती। लेकिन आपने देखा होगा 40 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी।

मैंने एक दिन लालकिले पर से कहा- कि जो afford करते हैं, उनको गैस सब्सिडी क्यों लेनी चाहिए? हमारे देश में गैस सिलेंडर की संख्या के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे। कोई कहते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, अभी 9 सिलेंडर मिलते हैं, मैं 12 सिलेंडर दूंगा; ये घोषणा की गई थी 2014 में। मैंने लोगों को उलटा कहा, मैंने कहा भाई जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए ना सब्सिडी, क्या जरूरत है। और आप हैरान हो जाएंगे, हिन्दुस्तान के करीब-करीब सवा करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। देश के लिए जीने-मरने वाले, कुछ न कुछ करने वालों की कमी नहीं है।

हम लोगों का काम है देश के सामर्थ्य को समझना, उनको जोड़ना और मेरी ये कोशिश है कि हमने, सरकार ने ही देश चलाना है, ये सरकार को जो अहंकार है, उस अहंकार को सरकारों ने छोड़ देना चाहिए। जनता-जनार्दन ही शक्ति हैं, उनको ले करके चलें। हम चाहें, वैसा परिणाम

जनता ला करके दे देगी और इसलिए मैं जनता के साथ मिल करके काम करने के विचार को ले करके आगे बढ़ रहा हूं।

प्रसून जी –दर्शकों में से एक सवाल की हमें रिक्वेसट थी- श्री मयूरेश ओझानी जी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

मयूरेश ओझानी- नमस्ते, मोदी जी। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक करने का अति महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और हिम्मतभरा कदम उठाया था तब आपके मन में कैसी भावना उछल रही थी?

प्रधानमंत्री – मैं आपका आभारी हूं कि आप वाणी से अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपने एक्शन से अपनी भावनाओं को प्रकट किया और शब्दों से आपके साथी ने मुझ तक इस बात को पहुंचाया। एक तो ये दृश्य अपने-आप में हृदय को छूने वाला है, it touched me.

> **महात्मा गांधी ने कहा था, कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है, उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है कि हम नीतियां कितनी ही बढ़ाएं, बड़ी-बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं, वो समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति, उस पर पहुंचने में हम कहां जा रहे हैं।**

भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण का जो संवाद है, लंका छोडते समय, तब भी उन सिद्धांतों को हमने देखा है। लेकिन जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हों; तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है।

हमारे जवानों को, टैंट में सोए हुए थे रात में, कुछ बुजदिल आकर उनको मौत के घाट उतार दें? आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक की और मुझे मेरी सेना पर गर्व है, मेरे जवानों पर गर्व है। जो योजना बनी थी, उसको शत-प्रतिशत ..कोई भी गलती किए बिना उन्होंने implement किया और सूर्योदय होने से पहले सब वापिस लौटकर आ गए। और हमारी नेकदिली देखिए- मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे, उन्हें कहा, कि आप हिन्दुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होंगी, तुम्हें समय हो तो जा करके ले आओ।

हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। मैं इधर पत्रकारों को बुला करके रखा हुआ था, हमारे आर्मी अफसर खड़े थे, पत्रकारों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या बात है हमको बुलाया है, कोई बता नहीं रहे हैं।

मैंने कहा, पत्रकार बैठे हैं उनको बिठाइए, थोड़े वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान से बात करो, हमने किया है; छुपाया नहीं हमने। 12 बजे वो टेलीफोन पर आए, उनसे बात हुई, उनको बताया गया- ऐसा-ऐसा हुआ है और हमने किया है, और तब जा करके हमने हिन्दुस्तान के मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का और हमने किया। तो सर्जिकल स्ट्राइक, ये भारत के वीरों का तो पराक्रम था ही था, लेकिन टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वालों को पता होना चाहिए कि अब हिन्दुस्तान बदल चुका है।

प्रसून जी –कोई भी सभ्यता स्वयं पर गर्व नहीं कर सकती अगर वो समाज के vulnerable ends का ध्यान नहीं रख पाती है। मोदीजी, आपने लालकिले से पहली बार टॉयलेट जैसे मुद्दे पर बात की। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसे अहम मुद्दे को, पर जो छोटा लगने वाला, छोटा दिखने वाला मुद्दा हो, पर बहुत अहम हो, उसे प्राथमिकता दी, ये हमने देखा। ये जो प्राथमिकताएं बदली हैं, ये प्राथमिकताएं जो आप decide करते हैं, ये किस तरह decideकरते हैं, और ये issues कैसे ऊपर आए?

प्रधानमंत्री - देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आजादी के 70 साल में किसी सरकार का इन विषयों पर ध्यान ही नहीं था, ये कहना तो उनके साथ अन्याय होगा। तो मैं उस प्रकार से बात करता नहीं हूं और मैंने तो लालकिले से ये भी कहा था कि आज हिन्दुस्तान जहां है वहां देश आजाद होने से लेकर सभी सरकारों का, सभी प्रधानमंत्रियों का, सभी राज्य सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, हर जन-प्रतिनिधि का कोई न कोई योगदान है- ये मैंने लालकिले पर से कहा था और मैं इसको मानता हूं। लेकिन क्या कारण है कि इतनी योजनाएं हैं, इतना धन खर्च हो रहा है, सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता है?

महात्मा गांधी ने हम लोगों को एक सिद्धांत दिया था और मैं समझता हूं किसी भी developing country के लिए इससे बढ़िया कोई सिद्धांत नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, कोई भी नीति बनाएं तो उस तराजू से तोलिए कि उसका जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ इंसान है, उसकी जिंदगी में उस नीति का क्या प्रभाव होगा। मुझे महात्मा गांधी की ये बात मेरे गले उतर गई है कि हम नीतियां कितनी ही बढ़ाएं, बड़ी-बड़ी बात करें, लेकिन भाई जिसके लिए बना रहे हैं, वो समाज का आखिरी छोर का

व्यक्ति, उस पर पहुंचने में हम कहां जा रहे हैं।

मैं जानता हूं मैंने ऐसे कठिन काम सिर पर लिए हैं, हो सकता है उन्हीं मेरे कामों को कोई negative point भी कर सकता है, लेकिन क्या इसलिए इन कामों को छोड़ देना चाहिए क्या? गरीब जहां पड़ा है पड़े रहने देना चाहिए क्या? और तब जा करके आप मुझे कल्पना कर सकते हैं जब किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार, बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते हैं? और इसलिए मैंने लालकिले पर से नए तरीके से इस विषय को पेश किया था। मैंने कहा अगर बेटी शाम को देर से आती है तो हर मां-बाप पूछते हैं, कहां गई थी?क्यों गई थी? किसको मिली थी? फोन पर बात करते हुए मां देखती है, हे-बात बंद करो, किससे बात कर रही हो? क्यों बात कर रही हो?

आजादी के 70 साल बाद चार करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है। वो दीया जला करके गुजारा करते हैं।
मैंने बीड़ा उठाया है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन चार करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कम्प्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है तो दुनिया से जुड़ेंगे।

अरे भाई, बेटियों को तो सब पूछ रहे हो, कभी बेटों को भी तो पूछो, कहां गए थे? ये बात मैंने लालकिले से कही थी और मैं मानता हूं ये बुराई समाज की है, व्यक्ति की है, विकृति है, सब होने के बावजूद भी देश के लिए चिंता का विषय है। और ये पाप करने वाला किसी का तो बेटा है। उसके घर में भी तो मां है।

उसी प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भारत में sanitation का कवर 35-40 percent के आसपास था। क्या आज भी हमारी माताओं-बहनों को, क्योंकि मैं, देखिए ये चीजें, का एक और कारण भी है- मुझे किताब पढ़के गरीबी सीखनी नहीं पड़ रही है। मुझे टीवी के पर्दे पर गरीबी का अहसास करना नहीं है, मैं वो जिंदगी को जी करके आया हूं। गरीबी क्या होती है, पिछड़ापन क्या होता है, गरीबी की जिंदगी से कैसी जद्दोजहद होती है, वो मैं देखकर आया हूं।

और इसलिए मैं मन से मानता हूं- राजनीति अपनी जगह पर है, मेरी समाज नीति कहो, मेरी राष्ट्रनीति कहो, मुझे कहती हैं कि मैं इनकी जिंदगी में कुछ तो बदलाव लाऊं। और तब जाकर मैंने लालकिले से कहा कि 18 हजार गांव, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, इसका मतलब बाकी गांवों में पहुंची है। जिन्होंने पहुंचाई है उनको सौ-सौ सलाम। लेकिन 70 साल के बाद 18 हजार में न पहुंचना, ये भी तो जिम्मेदारी हम लोगों को लेनी चाहिए।

और मैंने सरकारी दफ्तर से कहा, मैंने कहा- कब करोगे भाई? तो किसी ने कहा सात साल लगेंगे। मैंने कहा- मैं सात साल इंतजार नहीं कर सकता। और मैंने लालकिले से घोषणा कर दी- मैं 1000 दिन में काम पूरा करना चाहता हूं। कठिन काम था, दुर्गम इलाके थे, कहीं तो एक्सट्रीमिस्ट लोग, माओवादियों का इलाका था। 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करीब-करीब पूरा हुआ। अब शायद डेढ़ सौ, पौने दो सौ गांव बाकी हैं। काम चल रहा है।

आप कल्पना कर सकते हैं कि गरीब मां शौचालय जाने के लिए सूर्योदय से पहले जंगल जाने के लिए सोचती हैं और दिन में कभी जाना पड़े, शारीरिक पीड़ा सहती हैं लेकिन सूरज ढलने तक का इंतजार करती हैं। वो शौचालय के लिए नहीं जाती है। उस मां को कितनी पीड़ा होती होगी? कितना दर्द होता होगा? उसके शरीर पर कैसा जुल्म होता होगा? क्या हम टॉयलेट नहीं बना सकते? ये सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। और तब जा करके मुझे लगा कि मैं लालकिले पर से जा करके अपनी भावनाओं को बिना लाग-लपेट बता दूंगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। लेकिन मैंने देखा कि देश ने बहुत response दे दिया। आज तीन लाख गांव open defecation free हो गए और काम तेजी से चल रहा है। और इसलिए last mile delivery, ये लोकतंत्र में सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

और इसी प्रकार अभी जैसे मैंने एक बीड़ा उठाया है- पहले उठाया बीड़ा, गांव में बिजली पहुंचाऊंगा। अब बीड़ा उठाया है घर में बिजली पहुंचाऊंगा। चार करोड़ परिवार ऐसे हैं। भारत में टोटल 25 करोड़ परिवार हैं, सवा सौ करोड़ जनसंख्या है लेकिन करीब-करीब 25 करोड़ परिवार हैं। आजादी के 70 साल बाद चार करोड़ परिवारों में आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी है। वो दीया जला करके गुजारा करते हैं।

मैंने बीड़ा उठाया है। सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में उन चार करोड़ परिवारों में बिजली का कनेक्शन दूंगा। उनके बच्चे बिजली में पढ़ेंगे, उनके घर में अगर कम्प्यूटर चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है तो दुनिया से जुड़ेंगे। टीवी लाने का खर्चा मिल जाएगा तो टीवी देखेंगे, बदलती हुई दुनिया देखेंगे। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए उनके अंदर भी बेसब्री मुझे पैदा करनी है। उनके अंदर वो बेसब्री पैदा करनी है ताकि वो भी कुछ करने के लिए मेरे साथ जुड़ जाएं और वही तो empowerment है। मैं गरीबों का empowerment करके गरीबी से लड़ाई लड़ने के लिए

मेरे साथियों की एक नई फौज तैयार करना चाहता हूं, जो फौज गरीबों से निकली होगी और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तब जा करके गरीबी मिटेगी न कि 'गरीबी हटाओ' के नारे से।

प्रसून जी – मोदीजी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मानते हैं पर क्या अकेले आप देश बदल पाएंगे?

प्रधानमंत्री – देखिए, मैं मेहनत करता हूं, ये बात आपने कही, मैं समझता हूं देश में इस विषय में कोई विवाद नहीं है। मैं मेहनत करता हूं ये मुद्दा ही नहीं है; अगर न करता तो मुद्दा है। मेरे पास पूंजी है प्रमाणिकता। मेरे पास पूंजी है मेरे सवा सौ करोड़ देशवासियों का प्यार और इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूं। मुझमें वो सारी कमियां हैं जो एक सामान्य मानव में होती हैं।

कोई मुझे अलग न समझे। आप मुझे अपने जैसा ही मान लो, और हकीकत है। मैं किस जगह पर बैठा हूं, वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मैं वही हूं जो आप हैं। आपसे मैं अलग नहीं हूं। मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया। और मुझे जो दायित्व मिलता है उसे मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होंगी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था, कि मेरे पास अनुभव नहीं है। मुझसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन मैंने देशवासियों को विश्वास दिया था कि मैं गलतियां कर सकता हूं लेकिन बदइरादे से गलत कभी नहीं करूंगा।

लंबे समय तक longest service chief minister के रूप में गुजरात में काम करने का मौका मिला, अब चार साल होने आए हैं, प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है। लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैंने देश को वादा किया है।

अब सवाल ये है, मैंने कभी नहीं सोचा है कि देश मैं बदल दूंगा, ये कभी नहीं सोचा है। लेकिन मेरे भीतर एक भरपूर विश्वास पड़ा है कि मेरे देश में अगर लाखों समस्याएं हैं तो सवा सौ करोड़ समाधान भी हैं। अगर मिलियन problems हैं तो बिलियन solutions भी हैं। सवा सौ करोड़ देशवासियों की शक्ति पर मेरा भरोसा है और मैंने अनुभव किया है कि कोई कल्पना कर सकता है- नोटबंदी। आप अगर टीवी खोल करके देखोगे तो नोटबंदी मतलब मुझे अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति मिले थे तो वो कह रहे थे मोदीजी- मेरे अच्छे दोस्त हैं। बोले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मेरा दोस्त गया। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे, बोले यार तुमने जब नोटबंदी की, तो क्योंकि वेनेजुएला में उसी समय चल रहा था, उनके पड़ोसी हैं लोग तो उनको पता था।

तो बोले, मेरी पत्नी और हम दोनों चर्चा करते थे कि मेरा दोस्त गया। Eighty six percent currency कारोबारी व्यवस्था से बाहर हो जाए, टीवी के पर्दे पर लगातार सरकार के खिलाफ धुंआधार आक्रमण हो, लेकिन ये देशवासियों के प्रति मेरा भरोसा था, क्योंकि देश, मेरा देश ईमानदारी के लिए जूझ रहा है। मेरा सामान्य देश का नागरिक ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने को तैयार है, कुछ करने को तैयार है। अगर ये मेरे देश की ताकत है तो मुझे उस ताकत के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढालना चाहिए। और उसी का नतीजा है कि आज जितने भी परिणाम आप देखते हैं, मोदी तो निमित्त है और actually मोदी की जरूरत है यहां। जरूरत क्या है, किसी को भी पत्थर मारना है तो मारेंगे किसको भाई? किसी को कूड़ा-कचरा फैंकना है तो फेंकेंगे कहां जी? किसी को गालियां देनी हैं तो देंगे किसको?

तो मैं अपने-आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे सवा सौ करोड़ देशवासियों पर कोई पत्थर नहीं पड़ रहे हैं, कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा, कोई गालियां नहीं दे रहा है। मैं अकेला हूं, लेता रहता हूं, झेलता रहता हूं। और मैं आपकी तरह कवि तो नहीं हूं लेकिन हर युग में कोई न कोई कुछ तो लिखते ही रहते हैं। आपमें से सबने लिखा होगा। लेकिन हम सब कवि नहीं बन सकते। वो तो प्रसून ही बन सकते हैं। लेकिन मैंने कभी लिखा था।

मेरे भीतर एक विद्यार्थी है और मैं अपने शिक्षकों का बहुत आभारी हूं कि बचपन में मुझे उन्होंने ये रास्ता सिखाया कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं दिया और मुझे जो दायित्व मिलता है उसे मैं सीखने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। गलतियां नहीं होंगी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था, कि मेरे पास अनुभव नहीं है।

क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी गुजार करके आया हूं तो मेरी जिंदगी में ये सब झेलना बड़ा स्वाभाविक था। हम ठोकरें खाते-खाते आए हैं जी। बहुत प्रकार की परेशानियों से निकल करके आए हैं तो मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे – मुझे पूरी कविता के शब्द आज याद नहीं लेकिन किसी को रुचि होगी तो मेरी एक किताब है जरूर आप देख लेना। मैंने उसमें लिखा था-

"जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मैं उन पत्थरों से ही पक्थी बना देता हूं और उसी पक्थी पर चढ़ करके आगे चलता हूं।"

और इसलिए मेरा concept रहा है Team India, सिर्फ सरकार में बैठे हुए लोग नहीं। ब्यूरोक्रेसी है, राज्य सरकार है, federal structure के लिए मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। Co-operative federalism

को मैंने competitive co-operative federalism की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है

मैंने अभी देश के 115 districts, aspirational districts को identify किया है। मैं उनमें प्रेरणा जगा रहा हूं कि आप अपने स्टेट की जो एवरेज है, वहां तक आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं उनको उत्साह बढ़ा रहा हूं और वो कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि टॉयलेट का लक्ष्य करता हूं, पूरा हो जाता है। 18 हजार गांवों में बिजली, कोई मोदी खंभा डालने गया था क्या? खंभा डालने के लिए मेरे देशवासी गए थे। बिजली पहुंचाने वाले मेरे देशवासी गए थे। और इसलिए महात्मा गांधी की वो बात जिसे मैंने एक मंत्र के रूप में लिया है कि आजादी के लिए दीवाने बहुत थे, आजादी के लिए मरने वाले लोग भी बहुत थे, और उनकी त्याग-तपस्या को कोई कम नहीं आंक सकता है, उनकी शहादत को कोई कम नहीं आंक सकता है। लेकिन गांधी ने आजादी को जन–आंदोलन बना दिया, मैं विकास को जन–आंदोलन बना रहा हूं।

मोदी अकेला कुछ नहीं करेगा और मोदी ने कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन देश सब कुछ करे और मोदी भी ...कभी तो मैं कहता था, जब मैं गुजरात में था तो बात करता था, मैंने कहा- हमारा देश ऐसा है कि सरकार रुकावट बनना बंद कर दे ना तो भी देश बहुत आगे बढ़ जाता है। उन मूलभूत विचारों से मैं चलने वाला इंसान हूं।

सेमुअल डाउजर्ट – Good Evening Mr. Prime Minister. What is your opinion about Modicare? Everyone is talking about it.Thank You.

प्रधानमंत्री – देखिए, मैं अनुभव करता हूं कि तीन बातों पर मेरा एक आग्रह है, मैं कोई बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लोगों में से नहीं हूं। मेरी जिंदगी का ब्रेकग्राउंड ही ऐसा है कि मैं कोई उस प्रकार की बातें करने वाली मेरी परम्परा नहीं है। लेकिन तीन चीजें- बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई- ये चीजें हैं जो हमें एक स्वस्थ समाज के लिए चिंता करनी चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि कितना ही अच्छा परिवार क्यों न हो, कोई व्यसन न हो, कोई बुराइयां न हो, कुछ न हो, बहुत अच्छे ढंग से चलता हो परिवार, किसी का बुरा भी न किया हो; लेकिन उस परिवार में अगर एक बीमारी आ जाए। कल्पना की होगी कि चलो भाई बच्ची बड़ी हो गई है, बेटी के हाथ पीले करने हैं, शादी करवानी है, और घर में एक व्यक्ति की बीमारी हो जाए, पूरा प्लान खत्म हो जाता है। बच्ची कुंवारी रह जाती है, बीमारी पूरे परिवार को तबाह करके चली जाती है।

एक गरीब आदमी ऑटो रिक्शा चला रहा है, बीमार हो गया। ये व्यक्ति बीमार नहीं होता है पूरा परिवार बीमार हो जाता है। सारी व्यवस्था बीमार हो जाती है। और तब जाकर हमने कुछ सोचा, तो हमने health sector में एक बड़ा holistic approach लिया है। कुछ लोग इसको मोदी केयर के रूप में आज प्रचलित कर रहे हैं। मूलतः योजना है 'आयुष्मान भारत।' और उसमें हमने preventive health की बात हो, affordable health की बात हो, sustainable chain की बात हो, इन सारे पहलुओं को ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं।

इसके दो component हैं। एक- हम देश में करीब-करीब डेढ़ लाख से ज्यादा wellness centre create करना चाहते हैं ताकि अगल-बगल के 12-15 गांव के लोगों के लिए हेल्थ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, और वो सारे technology driven हों। ताकि बड़े अस्पताल से वहां पेशेंट आया है तो उसको तुरंत गाइड करें क्या दवाईयां चाहिए, व्यवस्था करें।

दूसरा- preventive health को बल दें। चाहे योगा हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, इन सारी चीजों को preventive health के लिए, चाहे nutrition हो। हमने एक पोषण मिशन शुरू किया है। Women and child health care के लिए, उसके द्वारा हमने काम किया है।

दुनिया के समृद्ध देशों में भी maternity leave के लिए आज भी उतनी उदारता नहीं है जितनी हमारी सरकार ने आ करके की है। मैं मानता हूं यूके के लोग भी जान करके खुश हो जाएंगे, हमने उन बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, उस मां के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए maternity leave, twenty six week कर दिया है।

एक और पहलू है कि परिवार को एक ऐसी व्यवस्था दी जाए। भारत के करीब दस करोड़ परिवार, यानी 50 करोड़, पापुलेशन एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको सालभर में पांच लाख रुपये तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर जितनी बीमारी होती हैं, पांच लाख रुपये तक का पेमेंट सरकार देगी। इसके कारण गरीब की जिंदगी में ये जो संकट आता है उससे मुक्ति मिलेगी।

मैं जानता हूं बड़ा भगीरथ काम है लेकिन किसी को तो करना चाहिए।

दूसरा- इसके कारण जो प्राइवेट हॉस्पिटल आने की संभावना है टायर-2, टायर-3 सिटी में, अच्छे हॉस्पिटल का नेटवर्क खड़ा होगा। क्योंकि उनको पता है कि पेशेंट आएगा, क्योंकि पेशेंट को पता है कि मेरे पैसे कोई देने वाला है, तो वो जरूर जाएगा।

थोड़ी सी बीमारी आएगी तो आज नहीं जाता है, वो कहता है छोड़ो यार दो दिन में ठीक हो जाऊंगा, वो झेल लेता है। लेकिन जब पता है तो जाएगा। अस्पताल को भी पता है कि भाई पेशेंट जरूरत आए क्योंकि पैसे देने वाला कोई और है। और इसके कारण नए हॉस्पिटल का चेन बनेगा।

और मैं मानता हूं निकट भविष्य में और आपमें से जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एक हजार से ज्यादा नए अच्छे हॉस्पिटल बनने की संभावना पैदा हुई है। ये permanent solution system से पैदा हुई है।

उसी प्रकार से दवाइयां- पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है कभी दुबई होती है, हैं। वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते हैं, फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के लिए जरूरी है, करते हैं।

तो हमने क्या किया- जेनेरिक मेडिसिन्स, और वो उतनी ही उत्तम क्वालिटी की होती है। जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी, वो आज जेनेरिक मेडिकल स्टोर में 15 रुपये में मिलती है। करीब 3 हजार ऐसे हमने जन-औषधालय का काम किया है और, और भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि सामान्य व्यक्ति, और उसको हम प्रचारित भी कर रहे हैं। ■

राजनीति से प्रेरित है याचिकाः सुप्रीम कोर्ट

नहीं होगी SIT जांच

जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि मामले का कोई आधार नहीं है, इसलिए इसमें जांच नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोया के साथी जजों के बयान पर विश्वास न करने की कोई वजह नहीं है। यह न्यायपालिका की छवि ख़राब करने की कोशिश है। कोर्ट ने कहा कि मौत प्राकृतिक है और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका की अवमानना का बनता है, लेकिन वे अवमानना नहीं कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका राजनीति से प्रेरित लगती है। राजनैतिक और व्यवसायिक लड़ाई कोर्ट मे नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कहा कि न्यायपालिका में राजनीति घुसाने की कोशिश की गई। पिछले कुछ समय से कुछ लोग जिस प्रकार से न्याय प्रक्रिया का राजनीतिकरण कर रहे हैं आज उसका पर्दाफाश हो गया है। राजनैतिक मकसद से याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने जज लोया की मौत को स्वभाविक बताया है। कांग्रेस ने राजनीतिक बदले की भावना से काम किया। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है।

दरअसल, सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे जज बीएच लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई थी। वे वहां एक शादी में शामिल होने गए थे। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना था, लेकिन नवंबर 2017 में अंग्रेजी पत्रिका 'द कैरेवन' ने एक ख़बर छापी जिसमें पहली बार जज लोया की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाया गया। 4 जनवरी 2018 को मुम्बई में वकीलों के एक संगठन ने जज लोया की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए मुंबई हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल की। इस बीच कुछ और याचिका भी डाली गई।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया की मौत

की,एसआईटी जांच कराने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में, 3 जजों की बेंच ने, एसआईटी जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा है कि, ये याचिकाएं राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए दाखिल की गईं लगती हैं। जज लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई अन्य पक्षकार थे। बाद में अमित शाह को इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं पर बेतरह नाराज हुआ कोर्ट

ऐसा बहुत कम होता है कि, सुप्रीम कोर्ट कोई मामला खारिज करते हुए, याचिकाकर्ता पर इस तरह नाराज हो जैसा कि जज लोया केस में हुआ। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ए.एम. खानविलकर की तीन सदस्यीय पीठ ने कहाः

'हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि, रिट याचिका में कतई कोई अर्हता (मेरिट) नहीं है। अदालत के लिए, चार न्यायिक अधिकारियों के स्पष्ट और सुसंगत बयान पर शक करने का कोई कारण नहीं है। दस्तावेजी सुबूत प्रमाणित करते हैं कि, जज लोया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। अदालत के पास ऐसा मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि, मौत की स्थितियों और कारण पर तर्कपूर्ण तरीके से शक किया जाए, जिससे आगे और जांच की जरूरत हो' याचिकाकर्ता और मध्यवर्तियों के वकीलों ने बार-बार अदालत को बताने की कोशिश की, कि उनका कोई निजी एजेंडा नहीं है, और उन्होंने यह कार्यवाही, न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शुरू की है। यह कह कर कि, जज लोया की मौत से जुड़े हालात की, जांच की मांग करने का असली मकसद, न्यायपालिका संस्थान का संरक्षण करना है, सद्भावना का आभास पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि, सुनवाई के दौरान बातें निकल कर आईं, यह साफ हो गया कि, याचिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला करने और न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को घटाने की, एक छिपी हुई कोशिश है। न्यायिक पुनरीक्षण कानून के शासन को, संरक्षित रखने का एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यहां हमारा सामना फूहड़ आरोपों की बाढ़ से हुआ है। हत्या में साजिशकर्ताओं के साथ, मिले होने का मामूली सबूत भी नहीं होने की दशा में, अदालत निश्चित रूप से, न्यायिक अधिकारियों के बयान पर भरोसा करेगी। जिला अदालतों के जज, उनकी स्वतंत्रता पर, चौतरफा हमले का आसान निशाना होते हैं। यह अदालत अगर उनके साथ नहीं खड़ी होती है, तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम समझी जाएगी।'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु :

- न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है।
- जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना है।
- जनहित याचिका का मजाक बनाया गया है।
- जज लोया की सामान्य मृत्यु हुई, इसमें कोई शक नहीं।
- इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई जाएगी।
- कारोबारी या राजनीतिक झगड़े कोर्ट के बाहर निपटाएं।
- पीआईएल की आड़ में कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें।
- जजों को बदनाम करने की कोशिश की गई।
- आपसी मतभेद मिटाने के लिए कोर्ट का सहारा न लें।
- जस्टिस लोया के साथ जो जज आखिरी वक्त तक थे, उनके बयान पर शक करने का कोई आधार नहीं है।

न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकताः राजनाथ सिंह

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने न्यायाधीश लोया मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक गंभीर संदेश देता है कि न्यायपालिका को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय के फैसले के बाद श्री सिंह ने ट्वीट कर कहा कि इस फैसले का संदेश है कि राजनीतिक मंशा से आरोप लगाकर न्यायपालिका को भ्रमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस फैसले से आगाह भी किया है कि जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय का दुरूपयोग नहीं किया जा सकता और अदालत को राजनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाया जा सकता।

केस पब्लिक 'इंट्रेस्ट' में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के 'इंट्रेस्ट' में था : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह केस पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के इंट्रेस्ट में था। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी बीजेपी और खासतौर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की इमेज खराब करना चाहती थी। श्री प्रसाद ने कहा कि अदालत ने कहा है कि राजनीतिक लड़ाइयों को राजनीति के मैदान में ही लड़ें। इसका साफ मतलब है कि इस केस को हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई के तौर पर लड़ा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैं राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि वे अदालत के गलियारों के जरिए राजनीतिक लड़ाई न लड़ें।' ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

जस्टिस लोया केस

दैनिक जागरण

ढह गई झूठ की दीवार

सुप्रीम कोर्ट ने जज बीएच लोया की मौत के मामले की छानबीन विशेष जांच दल से कराने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए जिस तरह यह कहा कि इसका उद्देश्य न्यायाधीशों को बदनाम करना था उससे यह साफ हो गया कि छल-छद्म के सहारे देश को गुमराह करने की कोशिश एक अभियान में बदल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यह पाया कि यह याचिका शरारतपूर्ण उद्देश्य से दाखिल की गई थी, बल्कि इस नतीजे पर भी पहुंचा कि वह आपराधिक अवमानना जैसी थी। खास बात यह है कि इस निष्कर्ष पर मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के तीनों न्यायाधीश पहुंचे। वे इस पर भी एक मत हैं कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा होता कि वे केवल चिंता जताने तक ही सीमित नहीं रहते और ऐसे कुछ उपाय करते जिससे जनहित याचिकाओं की दुकानें चलाने वाले लोगों पर लगाम लगती। ध्यान रहे कि एक पूरी जमात खड़ी हो गई है जो बात-बात पर जनहित याचिकाएं दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ देश का भी समय जाया करती है। जज लोया की मौत के मामले में भी ऐसा किया गया।

सीबीआइ की विशेष अदालत के जज बीएच लोया की मौत दिसंबर 2014 में हुई थी। करीब तीन साल बाद यकायक एक अभियान छेड़ दिया गया कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी और उनका न तो सही तरह उपचार हुआ था और न ही उनके शव को उचित तरीके से ले जाया गया था। झूठ की यह दीवार हर दिन ऊंची की जाती रही। इसके लिए जज लोया के दिल के दौरे के वक्त उनके साथ रहे न्यायाधीशों से लेकर उनका उपचार करने वाले चिकित्सक तक को काल्पनिक साजिश का हिस्सा बताया गया। इसमें आसानी इसलिए हुई, क्योंकि जज लोया के निधन के बाद उनके कुछ परिजनों ने उनकी मौत को संदिग्ध बता दिया था। हालांकि बाद में बेटे ने यह स्पष्ट किया कि वे बयान भावावेश में दिए गए थे, लेकिन मौत के पीछे साजिश की खोज करने वाले चैन से नहीं बैठे। इन तत्वों ने बेटे के बयान को तो हाशिये पर डाला ही, महाराष्ट्र पुलिस की उस दौरान की छानबीन को भी खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इस दौरान ऐसा माहौल बनाया गया कि इस मामले में वैसे ही आदेश-निर्देश दिए जाने चाहिए जैसा कुछ वकील और नेता चाह रहे हैं।

इस मामले में दाखिल याचिका की पैरवी करने वाले आरोपी और वकील के साथ जज की भी भूमिका खुद ही निभाने पर आमादा थे। इस पर हैरानी नहीं कि फैसला उनके मनमाफिक नहीं आया तो उन्हें काला दिन दिखाई देने लगा। हैरानी इस पर है कि कुछ राजनीतिक दल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रुदन करने में लगे हुए हैं। इनमें भी कांग्रेस का रवैया सबसे विचित्र है। कल तक उसके नेता यह कहते नहीं थकते थे कि हम तो अदालती मामलों में टीका-टिप्पणी ही नहीं करते, लेकिन अब वे ठीक यही काम कर रहे हैं। क्या अब कांग्रेस ने शरारत भरी याचिकाओं की आड़ में राजनीति करने की ठानी है? जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट को जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग रोकना चाहिए।

हिन्दुस्तान

लोया मामले पर पूर्णविराम

विवाद शायद अभी भी खत्म न हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जस्टिस बृजगोपाल हरिकिशन लोया के मामले पर पूर्णविराम लगा दिया है। अदालत का कहना है कि उनका निधन जिन परिस्थितियों में हुआ, उसकी स्वतंत्र जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। मामले में उठाई जा रही तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाले पीठ ने उन न्यायाधीशों की गवाही को महत्वपूर्ण माना, जिनका कहना था कि जस्टिस लोया का निधन हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था। हालांकि तमाम राजनीतिक कारणों से कई लोग उनके निधन को रहस्यमय मान रहे थे और उसके लिए काफी बड़ा अभियान चलाया जा रहा था।

राष्ट्रीय सहारा

फैसले का सम्मान हो

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति लोया की मृत्यु पर दायर जनिहत याचिकाओं को खारिज करते हुए जो टिप्पणियां की हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति और चर्चा में आने के लिए जनिहत याचिकाओं का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे मामलों पर जिसको लेकर देश भर में तूफान खड़ा किया गया उसके संदर्भ में यदि न्यायालय ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो इसका अर्थ यही है कि जो मुद्दा था ही नहीं, उसे जानबूझकर संदेहास्पद बनाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायमूर्ति लोया की मौत स्वाभाविक थी, इसलिए उसमें किसी तरह की जांच की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के इस रुख के बाद उम्मीद की जा सकती थी कि राजनीतिक दल और सक्रियतावादियों का समूह कम से कम फैसले का सम्मान करेंगे एवं अपना राजनीतिक हित साधने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।

‘भगवा आतंकवाद’ का कांग्रेसी मिथक हुआ ध्वस्त

कुछ साल पहले एक शब्द चर्चा में आया ‘भगवा आतंकवाद’, यानी वो आतंकवाद जिसमें कोई हिंदू शामिल हो, लेकिन मक्का मस्जिद मामले में अदालत का फैसला आने के बाद इस शब्द ने अर्थ ही खो दिया। 11 साल पहले हैदराबाद के मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में सभी अभियुक्तों को निचली अदालत ने बरी कर दिया है। अब यह चर्चा का विषय है क्या भगवा आतंकवाद वाकई कोई अस्तित्व रखता है या फिर ये कांग्रेस का राजनीतिक कुचक्र भर था। इस मामले में बरी हुए स्वामी असीमानंद अकेले शख्स नहीं हैं जिनपर भगवा आतंकवाद का चेहरा होने का आरोप लगा है। 2007 अजमेर दरगाह ब्लास्ट, 2007 हैदराबाद की मक्का मस्जिद, 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, 2008 मालेगांव ब्लास्ट जैसे कई उदाहरण हैं जिन मामलों में भगवा आतंकवाद होने का आरोप सामने आया था। परन्तु अभी तक इन सभी मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटाए जा सके है। ऐसा समझा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने उच्च स्तर पर भगवा आतंकवाद का राजनीतिक षड्यंत्र रचा था।

मक्का मस्जिद धमाके के सभी आरोपी बरी

16 अप्रैल 2018 के मक्का मस्जिद मामले में जब कोर्ट का फैसला आया और तथाकथित ‘भगवा आतंकवाद’ का चेहरा प्रचारित किए जाने वाले स्वामी असीमानंद के साथ अन्य चार अभियुक्तों की रिहाई हो गई, तब यह फैसला कांग्रेस के लिए एक जोरदार झटका साबित हुआ। यह कांग्रेस ही थी, जिसने ‘भगवा आतंकवाद’ जैसे शब्द को इस देश के संस्कृति पर गर्व करने वाले लोगों को अपमानित करने के लिए गढ़ा था। इसमे कोई संदेह नहीं कि यह शब्द अतिवादी वाम गुटों तथा इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों पर पर्दा डालने के लिए गढ़ा गया था तथा इसका उद्देश्य राजनीतिक हितों को साधने का था। एक पूर्व अधिकारी आरवीएस मणी ने मीडिया को बताया कि किस तरह से फाइलों का बदलने तथा झूठ को दबाने में तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम का हाथ था, ताकि ‘भगवा आतंकवाद’ के नाम पर चल रहे षड्यंत्र को सही साबित किया जा सके। अब समय आ चुका है कि कांग्रेस तथा इसके नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन षड्यंत्रों के लिए तत्काल देश से माफी मांगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ‘भगवा आतंकवाद’ और ‘हिंदू आतंकवाद’ कहकर हिंदू संस्कृति को बदनाम कर रही थी लेकिन अदालत के फैसलों ने सच उजागर कर दिया। मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में असीमानंद को अदालत से बरी किये जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं राहुल बाबा को बोलना चाहता हूं कि उन्होंने और उनके नेताओं ने ‘भगवा आतंकवाद’ का नाम देकर देश के हिंदुओं को बदनाम करने का जो काम किया, उसके लिए देश उन्हें से माफी मांगनी चाहिए।’

कांग्रेस और इसके सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए इस महान देश की छवि पर दाग नहीं लगाया जा सकता और राष्ट्रीय सभ्यता और संस्कृति को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। ‘भगवा आतंकवाद’ के षड्यंत्र के तहत निरपराध लोगों को पकड़कर प्रताड़ित करना एक आपराधिक कृत्य था, जो अब निर्दोषों के साफ बरी होने पर कांग्रेस को उल्टा पड़ गया है। अब जबकि ‘भगवा आतंकवाद’ व हिंदू आतंकवाद जैसे मिथकों के पीछे का षड्यंत्र सबके सामने आ चुका है, कांग्रेस को बिना समय खोए देश को माफी मांग लेगी चाहिए।

कांग्रेस ने गढ़ा 'भगवा आतंकवाद' का शब्द

सिर्फ कुछ ही वर्ष पहले तकरीबन हर कांग्रेसी नेता यह बताने में लगा था कि देश में 'भगवा आतंक' का खतरा उठ खड़ा हुआ है। चाहे बात समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, मक्का मस्जिद विस्फोट और इशरतजहां मामले से जुड़ी जांच की हो या महाराष्ट्र एटीएस मामले की, इन सभी को तत्कालीन सत्ताधारी कांग्रेस ने 'हिंदू आतंकवाद' से जोड़ने की भरपूर कोशिश की। बटला हाऊस एनकाउंटर मामले में जहां दिल्ली पुलिस लगातार दावा करती रही कि मामले में सच्चाई है, वहीं दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद जैसे नेता इसे फर्जी मुठभेड़ बताते रहे।

राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत से 2009 में कहा था कि भारत को मुस्लिम आतंकियों की तुलना में हिंदू अतिवादियों से कहीं ज्यादा खतरा है। साल 2010 के दिसंबर में विकीलीक्स के खुलासे से पता चला कि 2009 की जुलाई में राहुल गांधी अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को दिए गए एक भोज में शामिल हुए। इस भोज में राहुल गांधी ने अमेरिका के राजदूत टिमोथी रोयमर से कहा कि भारत के मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में लश्कर-ए-तैयबा सरीखे इस्लामी आतंकी जमात के लिए समर्थन के सबूत हैं, लेकिन इससे बड़ा खतरा हिंदू अतिवादियों से है।

> **"मैं इस मुद्दे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप मोदी सरकार के विकास कार्यों के साथ - साथ इस मुद्दे को भी लेकर राज्य की जनता के पास जाइए और उन्हें बताइये कि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने किस तरह से फर्जी केस बना कर अनेक लोगों को जेल में डाल दिया था।"**
>
> **- अमित शाह**

20 जनवरी 2013 को जयपुर में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में बोलते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशील शिन्दे ने कहा, 'जांच के दौरान इस तरह की खबरें आई हैं कि बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकियों का प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। समझौता एक्सप्रेस और मक्का मस्जिद में बम रखे गए और फिर मालेगांव में भी विस्फोट की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।' चिन्तन शिविर के अपने भाषण वाले इसी दिन उन्होंने बाद में अपनी बातों का मतलब समझाते हुए कहा कि उन्होंने कुछ नया नहीं कहा, बल्कि 'भगवा आतंकवाद के बारे में अपनी बात रखी है।'

राहुल देश से माफी मांगे : अमित शाह

मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में आये कोर्ट के निर्णय पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि कोर्ट के एक निर्णय में मक्का मस्जिद ब्लास्ट में सभी आरोपी निर्दोष करार दिए गए। उन्होंने कहा कि यह वही मामला है जिसे कांग्रेस ने 'भगवा टेरर' और 'हिंदू आतंकवाद' के नाम से देश को बदनाम करने की साजिश रची थी। उन्होंने कहा कि जो ब्लास्ट के असली गुनाहगार थे, उसे छोड़ दिया गया और निर्दोष लोगों को पकड़ा गया, देश चुपचाप देखता रहा। उन्होंने कहा कि इतने सालों की जांच के बाद अदालत ने पाया कि पकड़े गए लोगों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, ये सभी निर्दोष हैं। उन्होंने कहा कि अदालत के निर्णय से यह साफ़ हो गया है कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने दुनिया में देश को बदनाम करने के लिए 'सैफ्रन टेरर' और हिंदू आतंकवाद की साजिश रची।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस लगातार भगवा आतंकवाद और हिंदू टेरर के राग अलापती रही और अब कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस कहती है कि हमने कभी भी भगवा टेरर और हिंदू आतंकवाद को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ने खुद 20 जुलाई 2010 को अमेरिकी राजदूत के सामने देश के लिए पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन लक्षकर-ए-तैय्यबा से भी बड़ा ख़तरा हिंदुओं को बताया था जिसका खुलासा विकिलीक्स ने 16 दिसंबर 2010 को किया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, गृहमंत्री पद पर रहते हुए पी चिदंबरम ने 25 अगस्त 2010 को, तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को और तत्कालीन विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने 22 जनवरी 2013 को सैफ्रन टेरर अथवा भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो अनेकों बार इस शब्द से देश को और हिन्दुओं को अपमानित किया था। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी 10 जनवरी 2018 को हिंदू टेरर का राग अलापा था।

श्री शाह ने कहा कि एक महान संस्कृति जो लाखों वर्षों से दुनिया को सभ्यता, शांति और संस्कार का संदेश देती आई है, उसको टेररिज्म से जोड़ने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि जब मक्का मस्जिद ब्लास्ट में निर्दोष बेगुनाहों को पकड़ा गया था, हम सब चुप रहे थे क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था और भारत की न्याय प्रक्रिया में हमारा पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि अब जबकि कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और उन्हें निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है, तब कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे कांग्रेस के उन सभी नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने देश और दुनिया को भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और सैफ्रन टेरर के नाम से गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप मोदी सरकार के विकास कार्यों के साथ - साथ इस मुद्दे को भी लेकर राज्य की जनता के पास जाइए और उन्हें बताइये कि सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने किस तरह से फर्जी केस बना कर अनेक लोगों को जेल में डाल दिया था। ■

संविधान बचाओ या परिवार बचाओ?

अमित शाह

कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से देश में घृणा और विद्वेष की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, वह न सिर्फ प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अनादर है बल्कि उनकी स्वयं की बौखलाहट का परिचारक भी है। राहुल गांधी द्वारा लगातार किया जा रहा मोदी विरोध आज देश विरोध का रूप ले रहा है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा तथाकथित संविधान बचाने की मुहिम न सिर्फ जनता को बहकाने का प्रयास है बल्कि हास्यास्पद भी है। स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिनमें कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के हित के लिये भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बार-बार तोड़ा-मरोड़ा है।

आज कांग्रेस पार्टी और उनका समर्थन करने वाली तथाकथित बौद्धिक लॉबी के बीच में भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना अत्यधिक चर्चा का विषय है। कांग्रेस पार्टी का यह गैर-जिम्मेदाराना रवैय्या मुझे 1973 की याद दिलाता है जब जस्टिस जे.एम. शेलाट, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर को नजरअंदाज करके वरिष्ठता में चौथे नंबर के अपने प्रिय जस्टिस ए.एन. राय को इंदिरा गांधी ने देश का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। अपने इस असंवैधानिक निर्णय को सही साबित करने के लिए इंदिरा गांधी के एक मंत्री ने कहा था कि, "सरकार को मुख्य न्यायाधीश बनाने से पहले व्यक्ति की फिलॉसफी और आउटलुक को ध्यान में रखना पड़ता है"। यहां पर इन मंत्री महोदय का 'फिलॉसफी और आउटलुक' का मतलब निश्चित रूप से गांधी परिवार के प्रति निष्ठा से था। यही कहानी 1975 में दोहराई गई जब इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद जस्टिस एच.आर. खन्ना को दरकिनार कर गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखने वाले जस्टिस बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अतः इतिहास गवाह कि कांग्रेस पार्टी ने अनेकों बार न्यायपालिका को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ा-मरोड़ा है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा के विरुद्ध लाया गया महाभियोग प्रस्ताव निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक और घिनौना प्रयास है।

न्यायपालिका के बाद देश की दूसरी सबसे पवित्र संस्था सेना के राजनीतिकरण से भी कांग्रेस पार्टी को गुरेज नहीं रहा। यूपीए सरकार के समय चीफ आफ आर्मी स्टाफ को किस तरह से आड़े हाथों लेकर सेना को राजनीति में घसीटा गया, वह सभी को पता है। यहां तक कि जब हमारे वीर जवानों ने पकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे निहत्थे जवानों की हत्या का बदला लेने का साहसी काम किया था तो कांग्रेस पार्टी ने स्ट्राइक का प्रमाण मांग कर हमारे जवानों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया।

यूपीए कार्यकाल में जब एक-के-बाद-एक लाखों करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामले जनता के सामने आ रहे थे तो कांग्रेस ने CAG जैसी तटस्थ संस्था और उसके मुखिया की ईमानदारी पर प्रश्नचिन्ह लगाये। कांग्रेस के मंत्रियों ने "जीरो लॉस" का सिद्धांत ला कर देश को बरगलाने का प्रयास किया परन्तु जब मोदी सरकार नीलामी प्रक्रिया में सुधार करके देश के खजाने में लाखों रुपये लाई तो कांग्रेस की कलई खुल गई और यह भी सिद्ध हो गया कि CAG पर कांग्रेस का प्रहार उनकी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के इतिहास का एक और प्रमाण था।

पिछले चार वर्षो में कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रादेशिक चुनावों में एक-के-बाद-एक हार मिली है जिससे 2014 में 12 राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में सिमट गई। राहुल गांधी को देश की जनता द्वारा पूरी तरह से नकारे जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने आका की साख को बचाने के लिए EVM की तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगा कर चुनाव आयोग जैसी संस्था को ही शक घेरे में लाने की नाकाम कोशिश की। मजे की बात यह है कि जब भाजपा और राजग को कुछ राज्यों में पराजय मिली तो EVM पर कोई सवाल नहीं उठा। अतः EVM पर चयनात्मक प्रश्न उठाना सिर्फ चुनाव आयोग को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कमजोर करना ही था।

समय और प्रसंग बदलता है परन्तु कांग्रेस पार्टी का जनतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर गांधी परिवार के स्वार्थ को बचाने का प्रयास जारी रहता है। भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास का काला दिन 25 जून 1975 किसे नहीं याद होगा जब देश की सभी संस्थाओं को बंधक बना कर देश में आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल का एक मात्र उद्देश्य इंदिरा गांधी के पैरों से खिसकती राजनैतिक जमीन को बचाने का प्रयास था जिसे कांग्रेस पार्टी ने देश हित का नाम दे दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किस तरह अपने राजनैतिक विरोधियों के साथ प्रेस और दूसरी संस्थाओं का दमन किया, वह इतिहास के पन्नों में कैद है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा असंवैधानिक तरीके से विरोधी दलों की प्रादेशिक सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा अस्थिर करना आम बात रही है। प्रधानमंत्री नेहरू और कांग्रेस अध्यक्षा इंदिरा गांधी के काल में 1957 में असंवैधानिक तरीके से केरल में कम्युनिस्टों की वैध सरकार को बर्खास्त किया गया। इसी तर्ज पर समय-समय पर तेलुगु देशम, सोसलिस्ट और अकाली सरकारों को कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुच्छेद 356 की मार सहनी पडी। सरकारों का निरस्तीकरण और विपक्षी नेताओं का दमन बार-बार सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि इन पार्टियों और उनके नेताओं का कांग्रेस से राजनैतिक विरोध था।

संविधान ही नहीं, गांधी परिवार की दासता न स्वीकार करने वाले संविधान निर्माताओं को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बख्शा। सर्वविदित है कि पंडित नेहरू ने स्वयं एक नहीं बल्कि दो चुनावों में बाबा साहब अंबेडकर को हरवाने का काम किया। बाबा साहेब के प्रति कांग्रेस का द्वेषपूर्ण रवैया इस बात से भी साबित होता है कि उसके राज में बाबा साहब को 'भारत रत्न' का सम्मान नहीं मिल पाया। यहां पर इस बात का उल्लेख भी तर्क संगत है कि जिस वर्ष 1997 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली, उसी वर्ष कांग्रेस समर्थित तीसरे मोर्चे की सरकार ने दलितों और आदिवासियों को पदोन्नति में मिलने वाली प्राथमिकता को ख़त्म किया। बाद में वाजपेयी सरकार ने अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन करके दलितों और आदिवासियों को उनका अधिकार वापस दिया।

यह हास्यास्पद है कि जिस पार्टी ने अनेकों बार न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग, CAG, संसद इत्यादि जैसी संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास किया हो, वह आज "प्रजातंत्र खतरे में है" की दुहाई दे रही है। बाबा साहब द्वारा दिया गया भारत का संविधान अत्यधिक मजबूत और परिपक्व है और जनता की अदालत में फेल होने के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके खिलाफ किया जा रहा प्रचार सिर्फ एक परिवार की राजनीतिक साख को बचाने का एक झूठा प्रचार है।

Link: https://www.facebook.com/AmitShah.Official/posts/1992523894122342

'समाज और धर्म को तोड़ने की साजिश में लगी कांग्रेस'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 अप्रैल को कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति और संसद को न चलने देकर विकास विरोध की पॉलिटिक्स के खिलाफ भाजपा द्वारा देश भर में आयोजित किये जा रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत डी. सी. ऑफिस, धारवाड़ में आयोजित धरना कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र की आस्था के साथ खिलवाड़ करने और देश के विकास में रोड़ा अटकाने को लेकर जमकर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा बड़े ही सुनियोजित तरीके से पूरे देश में भय और भ्रम का वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा नकारे जाने के बाद कांग्रेस अब समाज और धर्म को तोड़ने की साजिश पर उतर आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वयं के कारण लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही लगातार 22 दिनों तक ठप्प रही। उन्होंने कहा कि संसद चलने के एक घंटे का खर्च लगभग ढाई करोड़ जबकि एक दिन का खर्च लगभग 10 करोड़ रुपये बैठता है, अर्थात् 22 दिन का मतलब लगभग देश का लगभग सवा दौ सौ करोड़ रुपया कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, आजादी के बाद से जो पार्टी सत्ता में होती है, सदन में चर्चा से वही भागती है जबकि इस बार का मामला अलग है - भारतीय जनता पार्टी तो हर मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है क्योंकि कांग्रेस में चर्चा का साहस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कथित बैंक घोटाले, अविश्वास प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के विषय से लेकर हर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार थे लेकिन कांग्रेस अपनी पोल खुलने के डर से चर्चा से भागती रही और हंगामा कर सदन को बाधित करती रही। उन्होंने कहा कि श्री राजनाथ सिंह, श्री अरुण जेटली, श्री विजय गोयल, सभी ने विपक्ष से अपील की, विपक्ष के नेताओं से मुलाक़ात भी की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाय लेकिन विपक्ष न अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार हुआ, न आंध्र को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर और न ही कथित बैंक घोटाले पर। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियों के अविश्वास प्रस्ताव पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि आपके अविश्वास करने से कुछ नहीं होता, देश की सवा सौ करोड़ जनता का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार में अटूट विश्वास है। ■

'सिद्धारमैया सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में पूरी तरह विफल'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 13 अप्रैल को निप्पाणी, बेलगावी (कर्नाटक) के म्युनिसिपल ग्राउंड में विशाल मातृशक्ति समावेश को संबोधित किया और महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाये गए क़दमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। इससे पहले वे रानी चेनम्मा मेमोरियल गए और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात् वे नंदगड (बेलगावी) स्थित राष्ट्रवीर संगोली रायण्णा मेमोरियल गए और महान राष्ट्रवीर को नमन करते हुए श्रद्धा-सुमन अर्पित किये। उन्होंने मुधोल (बगलकोट) में बेलगावी संभाग के शक्ति केंद्र प्रमुखों के समावेश को भी संबोधित किया। इसके पश्चात् उन्होंने संगोली रायण्णा सर्किल से शून्य संपादन मठ, गोकक तक एक भव्य रोड शो किया, जिसमें जनता का उत्साह देखते ही बनता था।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मातृशक्ति के असीम आशीर्वाद को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्नाटक में अगली सरकार तो येदुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा ही रही है, साथ ही 2019 के लोक सभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एक ओर गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में भय और भ्रम की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि यह कर्नाटक की जनता को तय करना है कि राज्य में विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर विकास विरोधी सिद्धारमैया सरकार।

श्री शाह ने कहा कि पांच सालों तक जिस प्रकार से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने काम किया है, इससे कर्नाटक दिन-प्रतिदिन विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके कल्याण के मामले में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि रानी चेनम्मा, रानी मल्लम्मा, रानी अब्बक्का और गंगूबाई हंगल जैसी महान मातृ विभूतियों ने कर्नाटक से पूरे देश का मार्गदर्शन किया, जबकि आज कर्नाटक महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में शुमार हो रहा है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा लगातार दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया के शासन में राज्य की बदहाल क़ानून-व्यवस्था ने महिला सुरक्षा के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक गरीब मां की कोख से जन्मे हैं, उन्होंने गरीबी को जीया है, गरीब माताओं को होने वाली परेशानियों को निकट से अनुभव किया है, वे मातृशक्ति का दर्द समझते हैं इसलिए उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई ठोस कदम उठाये हैं। ■

भाजपा की ऐतिहासिक जीत

34 निकायों में से 21 पर खिला कमल

विकास ही देश का मंत्र है, विकास की ही जीत होगी- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन को झारखंड की जनता ने निकाय चुनाव में पुनः सिद्ध कर दिया। राज्य नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। विगत 20 अप्रैल को आए चुनाव परिणाम में भाजपा ने राज्य की सभी पांचों नगर निगम में जीत हासिल की। राज्य की कुल 34 नगर निकायों में से 21 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने प्रभावशाली जीत हासिल कर विपक्षी दलों के हौसले को पस्त कर दिए।

राज्य में पहली बार दलगत आधार पर हुए चुनाव में भाजपा ने रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर और मेदिनीनगर निगम की सभी महापौर और उप महापौर सीट पर विजय प्राप्त की। राज्य के 34 नगर निकायों के कुल 67 पदों पर हुए चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 36 सीट जीत कर विपक्षी दलों के सपनों को ध्वस्त कर दिया। सहयोगी आजसू ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने राज्य के सभी नगर निगम नगर परिषद एवं नगर पंचायत में कुल 16 अध्यक्ष तथा 10 उपाध्यक्ष पदों पर विजय पताका लहराया, जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है।

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी और कहा कि भाजपा को 80 फीसदी जीत गांवों और कस्बों में मिली है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और झारखंड के लोगों को विकास में भरोसा रखने के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अल्पकालिक लाभ के बजाए दीर्घकालिक समाधान को चुना।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, 'झारखण्ड नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा को मिली भव्य जीत पर मुख्यमंत्री श्री @dasraghubar जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुवा जी व प्रदेश के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। भाजपा में विश्वास प्रकट करने के लिए झारखण्ड की जनता का हृदय से अभिनंदन।

श्री अमित शाह ने अगले ट्वीट में लिखा, 'भाजपा की विकासनीति में जनता का निरंतर विश्वास यह दर्शाता है कि श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां किस प्रकार से गरीबों, वंचितों और आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहीं हैं।

मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए इसे विकास और जनता के विश्वास की जीत करार दिया। रघुवर दास ने ट्वीट कर लिखा, 'झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता को हार्दिक बधाई और आभार। नगर निगम, नगर निकाय और नगर पंचायत चुनावों में @BJP4India को मिली ये ऐतिहासिक विजय दरअसल झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता की जीत है। ये विकास और जनता के विश्वास की जीत है।'

श्री रघुवर दास ने अगले ट्वीट में लिखा, 'ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की नीतियों और माननीय अध्यक्ष श्री @AmitShah जी के मार्गदर्शन की जीत है। ये विजय राज्य सरकार के विकास कार्यों पर मुहर है। आज फिर ये साबित हुआ है कि जनता आत्मसम्मान, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और विकास चाहती है।'■

12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार में मृत्युदंड तक की सजा

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड तक की सजा देने संबंधी अध्यादेश को 22 अप्रैल को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने 21 अप्रैल को उस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने के दोषी ठहराये गये व्यक्ति के लिये मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने की अदालत को इजाजत दी गई है।

आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिये नयी त्वरित अदालतें गठित की जाएंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को बलात्कार मामलों की जांच के लिए विशेष फॉरेंसिक किट उपलब्ध करायी जाएगी। इसमें विशेषकर 16 एवं 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों के लिये सख्त सजा की अनुमति है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने की बात इस अध्यादेश में कही गई है।

अध्यादेश के मुताबिक महिलाओं से बलात्कार मामले में न्यूनतम सजा सात साल से बढ़ा कर 10 साल सश्रम कारावास की गई । इसे अपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए उम्रकैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के दोषी के लिये उम्रकैद की सजा का प्रावधान बरकरार रहेगा।

इस अध्यादेश के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई और अपराध की प्रवृत्ति के आधार पर इसे बढ़ाकर जीवनपर्यंत कारावास की सजा भी किया जा सकता है। यानी दोषी को मृत्यु होने तक जेल की सजा काटनी होगी।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और यौन अपराधों से बाल सुरक्षा (पोक्सो) अधिनियम को अब संशोधित माना जायेगा। अध्यादेश में मामले की त्वरित जांच एवं सुनवाई की भी व्यवस्था है।

बलात्कार के सभी मामलों में सुनवाई पूरी करने की समय सीमा दो माह होगी। साथ ही, 16 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के मामलों में जमानत आवेदनों पर फैसला करने से पहले अदालत को सरकारी वकील और पीड़िता के प्रतिनिधि को 15 दिनों का नोटिस देना होगा।

दरअसल, बलात्कार के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ाने के साथ ही कैबिनेट ने

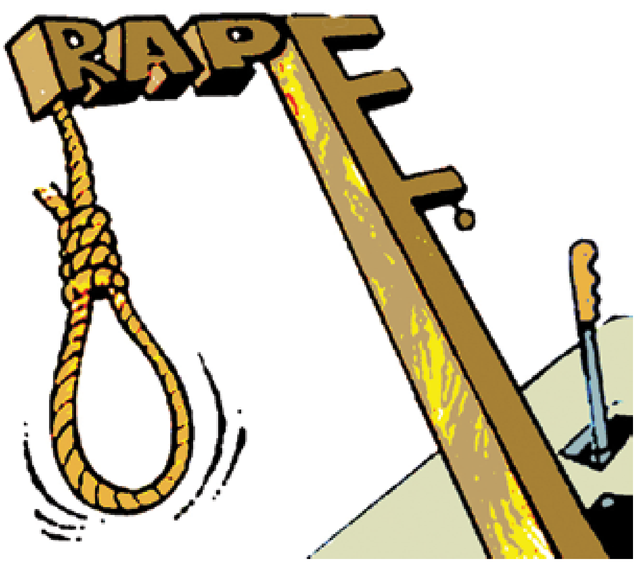

कई दूसरे कदमों को भी मंजूरी दी। इनमें राज्यों और संबंधित उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श करके त्वरित अदालतों की स्थापना शामिल हैं।

आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर ऐसे अपराध के दोषी को मौत की सजा से दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

अध्यादेश के अहम प्रावधान

- बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी
- मामलों में पीड़ितों का पक्ष रखने के लिए राज्यों में विशेष लोक अभियोजकों के नए पद सृजित होंगे
- जांच के लिए सभी पुलिस थानों और अस्पतालों में विशेष फॉरेंसिक किट मुहैया कराई जाएंगी
- की जांच को समर्पित पुलिस बल होगा, जो समय सीमा में जांच कर आरोप पत्र अदालत में पेश करेगा
- रिकार्ड ब्यूरो यौन अपराधियों का डेटा तैयार करेगा, इसे राज्यों से साझा किया जाएगा
- पीड़ितों की सहायता के लिए देश के सभी जिलों में एकल खिड़की बनाया जाएगा ■

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश-2018 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल को मंजूरी दे दी। अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने में आसानी होगी।

एक अधिकारिक बयान में कहा गया कि यह अध्यादेश उन आर्थिक अपराधियों के लिए लाया गया है, जो देश की अदालतों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर भाग कर कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं। बयान में कहा गया, 'इस अध्यादेश की जरूरत थी क्योंकि अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने की संभावना या कानूनी प्रक्रिया के बीच में ही देश की अदालतों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर भागने वालों की संख्या बढ़ी है।'

इस अध्यादेश का उद्देश्य भगोड़े व्यक्तियों की धोखाधड़ी से सरकारी खजाने या सरकारी बैंकों को हुए नुकसान की तुरंत वसूली की कार्रवाई की कानूनी व्यवस्था करना है। इसकी जरूरत बताते हुए

बयान में कहा गया कि इस तरह के अपराधियों के भारतीय अदालतों के सामने हाजिर नहीं होने से जांच में दिक्कतें आती हैं और अदालत का समय बर्बाद होता है। इससे कानून का शासन भी कमजोर होता है। बयान में कहा गया, 'कानून में मौजूद दीवानी एवं फौजदारी प्रावधान इस तरह की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं हैं।' ■

ट्रेन के डिब्बों में एक लाख पच्चीस हजार जैव शौचालय लगाए गए

ग्वालियर-वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जनवरी 2011 को 57 जैव शौचालयों की शुरुआत करने के साथ ही भारतीय रेलवे ने मार्च, 2018 तक अपने डिब्बों में करीब 1,25,000 जैव शौचालय लगाए हैं। यह भारतीय रेलवे के कोच के बेड़े का करीब 60 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेलवे ने डिब्बों में सबसे अधिक जैव शौचालय स्थापित किए जो 40,000 जैव शौचालय स्थापित करने के लक्ष्य से 40 प्रतिशत और 2016-17 में 34134 जैव शौचालय बनाने के निर्धारित लक्ष्य से 64 प्रतिशत अधिक है।

वर्तमान में भारतीय रेलवे ने 27 सेक्शनों पर हरित गलियारे के रूप में प्रचालन शुरू किया है। इन सेक्शनों पर चलने वाली सभी ट्रेनों में जैव शौचालय लगे हैं। अतः इन गलियारों में चलने वाली ट्रेनों से मानव अपशिष्ट ट्रेनों से बाहर नहीं गिरता।

भारतीय रेलवे की जैव शौचालय परियोजना नई और देश में विकसित टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी अपने किस्म की पहली टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुनिया में किसी रेल मार्ग द्वारा मानव अपशिष्ट को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। इन जैव शौचालयों को शौचालय के नीचे लगाया गया है और इनमें गिरने वाला मानव अपशिष्ट एक बैक्टीरिया द्वारा मानव अपशिष्ट को पानी और बायो गैस में बदल देता है। गैस पर्यावरण में चली जाती है और बचे हुए पानी के क्लोरीनेशन के बाद उसे पटरी पर छोड़ दिया जाता है। इससे मानव अपशिष्ट पटरी पर नहीं गिरता और प्लेटफॉर्म पर सफाई बनी रहती है तथा पटरी और डिब्बों का रख-रखाव करने वाले कर्मचारी अपना काम और बेहतर तरीके से करते हैं। बायो शौचालय परियोजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ- भारत मिशन से जुड़ी है। जैव शौचालय की प्रौद्योगिकी का आविष्कार और डिजाइन मेड इन इंडिया है। इसे भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह एक उदाहरण है जिसमें रक्षा इस्तेमाल के लिए विकसित प्रौद्योगिकी नागरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

एक अनुमान के अनुसार ट्रेन के डिब्बों से प्रतिदिन करीब 4,000 मीट्रिक टन मानव अपशिष्ट गिरता है। 60 प्रतिशत डिब्बों में जैव शौचालय के प्रसार से खुले में मानव अपशिष्ट गिरना बंद हो गया है।

भारतीय रेलवे के प्रयासों के साथ ही इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना की सफलता उसके ग्राहकों/यात्रियों के सहयोग पर निर्भर करती है कि वे कागज, बोतलें, कागज/प्लास्टिक के कप, पॉलीथीन, नैपकीन, नैपीज, कपड़े, गुटके के पाउच, सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े शौचालय में नहीं फेंके। ■

11 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वितः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 100 से अधिक लाभार्थियों ने 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन उद्यमियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिन्होंने मुद्रा ऋणों का बेहतरीन उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का एक लक्ष्य लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि अब तक पारम्परिक सोच यही रही है कि रोजगार या तो पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) अथवा प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) में ही सृजित होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से आजीविका और स्व-रोजगार के एक साधन के रूप में 'पर्सनल सेक्टर' के विकास में मदद मिली है।

श्री मोदी से अनौपचारिक मुलाकात के दौरान कई लाभार्थियों ने बताया कि मुद्रा ऋण से उनका जीवन किस प्रकार बेहतर हुआ है। जैसे- बोकारो (झारखंड) की लाभार्थी सुश्री किरण कुमारी को 2 लाख रूपये का ऋण मिला था। उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से उन्होंने अपनी खिलौने और उपहार दुकान की शुरुआत की। इसके पहले वे और उनके पति फेरी लगाकर खिलौने बेचते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। ऋण मिलने के पश्चात वे एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हो गई हैं।

सूरत की सुश्री मुनिराबानू शब्बीर हुसैन मलेक को 1.77 लाख रुपये का मुद्रा ऋण प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने हल्के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। ऑटोरिक्शा चलाकर वे अब प्रति महीने 25 हजार रुपये कमा रही हैं। केरल के श्री सीजेश ने 8 वर्षों तक विदेश में काम किया। भारत वापस आने पर वे एक दवा इकाई में विक्रय अधिकारी के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि 8.55 लाख रुपये के मुद्रा ऋण की सहायता से उन्होंने एक हर्बल दंत मंजन उत्पादन करने की इकाई स्थापित की। उन्होंने प्रधानमंत्री को हर्बल दंत मंजन के कुछ सैंपल भेंट स्वरूप दिए।

तेलंगाना के श्री सलेहुनदुम गिरिधर राव ने प्रधानमंत्री से अपनी उद्यमिता की कहानी साझा की। उन्हें 9.10 लाख रुपये का ऋण मिला था। ऋण की मदद से उन्होंने अपने डाईकास्टिंग तथा मोल्डिंग के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। जम्मू व कश्मीर के कठुआ जिले की सुश्री वीना देवी बुनकर का कार्य करती हैं। उन्हें 1 लाख रुपये का मुद्रा ऋण मिला। अब वे अपने क्षेत्र में पश्मीना शॉल की प्रमुख निर्माता हो गई हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को एक शॉल उपहार स्वरूप प्रदान किया।

देहरादून के श्री राजेन्द्र सिंह पूर्व सैन्य कर्मी हैं। उन्होंने झाड़ू बनाने और खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर) को इनकी आपूर्ति करने के अपने व्यवसाय के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। यह कारोबार वह 5 लाख रुपये के मुद्रा लोन के जरिए ही शुरू कर पाए हैं। वह न केवल अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक स्थापित करने में सफल हो पाए हैं, बल्कि उन्होंने कुछ अन्य लोगों के लिए रोजगार भी सृजित किए हैं।

चेन्नई के श्री टी.आर. सजीवन ने 10 लाख रुपये का मुद्रा लोन लिया है। उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि वह अब किस तरह से ढलाई कारखानों के लिए जॉब वर्क करते हैं। जम्मू के श्री सतीश कुमार ने 5 लाख रुपये का मुद्रा लोन लिया है। वह इससे पहले बेरोजगार थे। अब उन्होंने इस्पात उत्पादों को बनाने एवं उनके व्यापार का व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा किया।

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के श्री विप्लव सिंह एक दवा कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी इच्छा स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करने की थी। 5 लाख रुपये के मुद्रा लोन की मदद से वह कीटनाशकों एवं उर्वरकों के व्यापार का अपना व्यवसाय शुरू करने में समर्थ हुए हैं और इसके साथ ही वह अब कई अन्य लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में भी सक्षम हो गए हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। कई अन्य लाभार्थियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किए। दरअसल, प्रधानमंत्री और लाभार्थियों के बीच अनौपचारिक संवाद एक घंटे से भी ज्यादा समय तक जारी रहा। ■

भारतीय संस्कृति में अर्थ

| दीनदयाल उपाध्याय |

आर्थिक प्रश्नों के समाधान हेतु पश्चिम की ओर देखने का एक प्रमुख कारण यह भ्रममूलक धारणा है कि भारतीय संस्कृति और धर्म अध्यात्म प्रधान होने के कारण भौतिक जीवन की समस्याओं के प्रति उदासीन है। यह भ्रम दूषित प्रचार एवं आध्यात्मिकता का ग़लत अर्थ करने का परिणाम है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे धर्म की व्याख्या भौतिकता का पूर्ण विचार करके चलती है। "यतोऽभ्युदयनिः श्रेयससिद्धि स धर्मः" अर्थात् जिससे ऐहिक और पारलौकिक उन्नति प्राप्त हो, वह धर्म है। जिसने इस लोक को छोड़ दिया, वह परलोक को नहीं बना सकेगा। भौतिकता और आध्यात्मिकता परस्पर विरोधी अथवा विलग भाव नहीं है। आध्यात्मिकता जीवन का एक दृष्टिकोण है, जिससे हम सभी प्रश्नों की ओर देखते हैं। अध्यात्मवाद यदि विश्व की सही व्याख्या कर सकता है तो कोई कारण नहीं कि उसके द्वारा हम विश्व की समस्याओं का समाधानकारक हल न प्राप्त कर सकें।

धर्मस्य मूलमर्थः

भारत ने भौतिक जगत् का ही नहीं, अर्थ का भी विचार किया है। महर्षि चाणक्य ने कहा, 'सुखस्य मूलं धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः।' सुख धर्ममूलक है तो धर्म अर्थमूलक। अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता। यहां हम धर्म की व्यापक परिभाषा लेते हैं, वह संकुचित एवं आधुनिक भ्रमपूर्ण अर्थ नहीं, जो धर्म का मत, मजहब या रिलीजन समझ लेता है। जिससे समाज की धारणा हो, जो दैहिक और पारलौकिक उन्नति में सहायक हो, जिसके कारण मानव के कर्मों का निर्धारण होकर वह कर्त्तव्य की संज्ञा प्राप्त कर ले, जिससे व्यक्ति अपनी सब प्रकार की उन्नति करता हुआ समष्टि के अभ्युत्थान में सहायक हो सके, वह नियम व्यवस्था और उसके मूल में निहित भाव धर्म है। यह धर्म अर्थ के अभाव में नहीं टिक सकता। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने क्षुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर रात्रि के समय चोरी करके चंडाल के घर से कुत्ते का जूठा मांस खाया। उन्होंने धर्म की अनेक मर्यादाओं को भंग किया। आपद् धर्म की संज्ञा देकर शास्त्रकारों ने उनके इस व्यवहार को उचित ठहराया। यदि अर्थ के अभाव की यह आपत्ति बराबर रहे तो फिर आपद् धर्म अर्थात् चोरी ही धर्म बन जाए और यदि यह आपत्ति समष्टिगत हो जाए अथवा समष्टि का बहुतांश इससे व्याप्त हो तो वे एक-दूसरे की चोरी करके अपने आपद् धर्म का निर्वाह करेंगे। किंतु जहां अभाव होगा, वहां चोरी भी किसकी होगी? अर्थात् उस परिस्थिति में समाज नष्ट हो जाएगा।

अर्थ का प्रभाव

अर्थ का अभाव ही नहीं, अर्थ का अत्यधिक प्रभाव भी धर्म का नाश करता है। यह भारत का अपना विशेष दृष्टिकोण है। पश्चिम के लोगों ने अर्थ के प्रभाव का विचार नहीं किया। अर्थ जब अपने में या उसके द्वारा प्राप्त पदार्थों में और उनसे प्राप्त भोग-विलास में संग (आसक्ति) उत्पन्न कर देता है, तब अर्थ का प्रभाव कहा जाता है। जिसे केवल पैसे की ही धुन लगी रहे, वह देश, धर्म, जीवन का सुख सब कुछ भूल जाता है। इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य पौरुषविहीन होकर स्वयं और समाज के नाश का कारण बनता है। प्रथम प्रकार के प्रभाव में अर्थ की साधनता नष्ट होकर वह साध्य बन जाता है। द्वितीय में अर्थ धर्माचरण का साधन न होकर विषय-भोगों का साधन बन जाता है। विषय तृष्णा की कोई मर्यादा न होने के कारण एक ओर तो ऐसे व्यक्ति के सम्मुख सदैव अर्थ का अभाव ही बना रहेगा, दूसरे पौरुषहानि से उसकी अर्थोपार्जन की क्षमता भी कम होती जाएगी।

जब 'अर्थ' ही समाज के प्रत्येक व्यवहार और व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मानदंड बन जाए, तब भी अर्थ का प्रभाव हो जाता है। ऐसे समाज में सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति' की उक्ति चरितार्थ होती है। मान, सम्मान, राजनीतिक अधिकार तथा समाज में स्थान जब केवल धनवान व्यक्ति को ही प्राप्त हो, वहां लोगों में धनपरायणता आ जाती है। जब समाज में सभी धनपरायण हो जाएं, तो प्रत्येक कार्य के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी। धन का प्रभाव प्रत्येक के जीवन में अर्थ का अभाव उत्पन्न कर देता है।

जीवन के मानदंड

समाज से अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को 'अर्थायाम' कहा गया है। आवश्यकता है कि समाज के मानदंड ऐसे बनाए जाएं कि हर वस्तु पैसे से न ख़रीदी जा सके। निश्चित ही यह कार्य केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं किया जा सकता। देश के लिए लड़ने वाला सैनिक अपने जीवन की बाजी अर्थ की कामना से नहीं लगाता। अर्थ का लालच उसे देशद्रोह सिखा सकता है, देशभक्ति नहीं। स्त्री के सतीत्व का अपना मूल्य है, उसे अर्थ की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। वैद्य रोगी की चिकित्सा के बदले में अर्थ किन मूल्यों के आधार पर ले सकेगा? अध्यापक विद्यादान का मूल्य नहीं लगा सकता। सरकारी कर्मचारी किस आधार पर एक फ़ाइल को आगे सरकाने के लिए मूल्य लेगा? दुर्बल की रक्षा करने वाली पुलिस जब अपनी सेवाओं का मूल्य मांगे, तब या तो दुर्बल की रक्षा ही नहीं हो पाएगी अथवा शरीर शक्ति में दुर्बल अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमाकर रक्षा का मूल्य चुकाएगा। श्रम का, शारीरिक और मानसिक, फिर उनका उपयोग चाहे दृश्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा सेवाओं में हुआ हो, रुपए पैसे में मूल्य आंकना असंभव है। फिर रुपया वह भी तो स्थिर मूल्य नहीं। श्रम

और पारिश्रमिक दोनों का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध होने पर भी, व्यवहार जगत् के लिए सर्वमान्य एवं सर्वंकष मूल्य सिद्धांत निश्चित करना न तो सरल है और न उपादेय ही। वास्तविकता तो यह है कि दोनों का मूल्यांकन पृथक् मानदंडों से होता है। श्रम की प्रतिष्ठा उससे मिलने वाले अर्थ के कारण नहीं, अपितु उसके धर्मत्व से है। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को दिया गया पारिश्रमिक उसके द्वारा किए श्रम का प्रतिदान नहीं, बल्कि उसके योगक्षेम की व्यवस्था है। श्रीमद्भगवद्गीता में इसीलिए कर्म और फल दोनों को अलग-अलग रखा गया है। कर्म लोकसंग्रहार्थ एवं ईश्वर भक्ति के रूप में करना है। श्री भगवान् ने 9वें अध्याय में कहा है-

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

हे अर्जुन! तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो और जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। हमारे कर्म का लक्ष्य भगवत् आराधना ही हो सकता है। ऐसे भक्तों की चिंता का भार स्वयं भगवान् ने अपने ऊपर लिया है। उसी अध्याय में वे कहते हैं-

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य कर्मयोगियों के योगक्षेम का मैं विचार करता हूं।

गीतोक्त उक्त सिद्धांत के अनुसार कर्म की मूल प्रेरणा अनियंत्रित प्रतियोगिता अथवा लाभ की वृत्ति नहीं हो सकती। पाश्चात्य अर्थशास्त्र की ये मान्यताएं भारत के जीवनदर्शन से मेल नहीं खातीं। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि आज हमारे व्यवहार और दर्शन में भारी अंतर है। वास्तव में तो समाज में आज भी अधिकांश व्यक्ति अपने व्यवसाय और वृत्ति में कर्तव्य भाव से ही लगे हुए हैं। जितना हम इस भाव से दूर हटते जाते हैं, उतना ही हमारी समस्याएं विषम होती जाती हैं। हमें यदि अपने राष्ट्र का युगनिर्माण करना है तो उसकी प्रेरणा अपने जीवनदर्शन से ही लेनी होगी।

व्यक्तियों की निर्बाध और असीम प्रतिस्पर्धा को न तो हम सामाजिक जीवन का नियामक मान सकते हैं और न सुरक्षापूर्ण ही। अर्थशास्त्र की यह मान्यता मत्स्य न्याय का प्रतिपादन करने वाली है। हमने इस न्याय को कभी धर्मसंगत नहीं माना। पश्चिम में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, किंतु उन्होंने प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए वर्गों की भयंकर प्रतिस्पर्धा पैदा कर एक वर्ग के द्वारा दूसरे के विनाश का मार्ग अपनाया है।

पाश्चात्य अर्थशास्त्र की मान्यताओं की सीमाएं

पाश्चात्य अर्थशास्त्र ने जिन सामान्य मान्यताओं के आधार पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है, वह एकांगी तथा अपूर्ण है। उसकी मान्यता है कि

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः वैयक्तिक है, जिसका अलग से कोई सामाजिक पहलू नहीं है।
2. व्यक्तियों की निर्बाध और असीम प्रतिस्पर्धा ही सामाजिक जीवन की स्वाभाविक एवं सुरक्षापूर्ण नियामक है।
3. राजकीय एवं सामाजिक प्रथा द्वारा लागू नियमन सभी स्वाभाविक स्वतंत्रता का अतिक्रमण करते हैं।

उपर्युक्त मान्यताएं सत्य से बहुत दूर हैं। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अस्तित्व एवं आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। यदि राष्ट्र की अपनी कोई इकाई है और वह केवल व्यक्तियों के समुच्चय से भिन्न जीवमान निकाय है तो उसकी अभिव्यक्ति जीवन के प्रत्येक व्यवहार में अपनी विशिष्टताओं के साथ होनी चाहिए। यदि इन अदृश्य विशेषताओं को हम आंख से ओझल कर भी दें तो भी आज प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने सभी आर्थिक संबंधों का निर्धारण एक पृथक् इकाई के आधार पर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनेक संगठन तथा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अभिसमय इसके उदाहरण हैं।

व्यक्तियों की निर्बाध और असीम प्रतिस्पर्धा को न तो हम सामाजिक जीवन का नियामक मान सकते हैं और न सुरक्षापूर्ण ही। अर्थशास्त्र की यह मान्यता मत्स्य न्याय का प्रतिपादन करने वाली है। हमने इस न्याय को कभी धर्मसंगत नहीं माना। पश्चिम में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है, किंतु उन्होंने प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए वर्गों की भयंकर प्रतिस्पर्धा पैदा कर एक वर्ग के द्वारा दूसरे के विनाश का मार्ग अपनाया है। प्रतिस्पर्धा का भाव केवल आर्थिक क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी रह सकता है। अतः वर्ग विनाश से प्रतिस्पर्धा समाप्त नहीं होती। प्रतिस्पर्धी वर्ग दूसरे आधार पर उत्पन्न होकर मत्स्य न्याय को चलाते रहते हैं। उससे बचने का रास्ता तो धर्म के आधार पर संपूर्ण जीवन का नियमन ही है।

तीसरा सिद्धांत यद्यपि मूलतः सत्य है किंतु समाज में मानव की कुछ स्वतंत्रताओं पर मर्यादाएं आवश्यक होती हैं। अनियंत्रित स्वतंत्रता केवल कल्पना की वस्तु है। हां, यह नियंत्रण जितना बाहरी होगा, उतना ही मानव को कष्टदायक होगा। शिक्षा और संस्कार, दर्शन और आदर्शवादी व्यवहार में मनुष्य को आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। इसी प्रकार समाज की प्रथाएं एक व्यवस्था बनाकर मानव का कार्य सरल एवं सुविधाजनक कर देती हैं। खेत काटने की परंपरानुसार निश्चित मज़दूरी पाश्चात्य अर्थशास्त्र के मांग और पूर्ति के नियमों का चाहे पालन न करती हो, किंतु वह किसान और मज़दूर दोनों के लिए सामाजिक ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है। ■

('भारतीय अर्थ-नीति विकास की एक दिशा' से साभार)

भैरोंसिंह शेखावत

(23 अक्टूबर 1923 – 15 मई 2010)

भैरोंसिंह शेखावत भारत के ग्यारहवें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर काफ़ी लम्बे समय तक छाये रहे। राजस्थान की राजनीति में उनका जबर्दस्त प्रभाव था। उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर एक जोरदार नारा भी दिया, जो इस प्रकार था- "राजस्थान का एक ही सिंह, भैरोंसिंह..भैरोंसिंह। यह नारा बहुत लम्बे समय तक गूंजता रहा था। भारतीय राजनीति में वह दक्ष और परिपक्व नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्हें पुलिस और अफसरशाही व्यवस्था पर कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा भैरोंसिंह शेखावत को राजस्थान में औद्योगिक और आर्थिक विकास के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। भैरोंसिंह शेखावत 1952 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलताएं अर्जित करते हुए विपक्ष के नेता, फिर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बने।

भैरोंसिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर 1923 को सीकर (राजस्थान) में हुआ। इनके पिता का नाम देवीसिंह और माता बन्ने कंवर थीं। भैरोंसिंह शेखावत ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही प्राप्त की। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा गांव से 30 किलोमीटर दूर स्थित जोबनेर से प्राप्त की। यहां पढ़ने के लिए भैरोंसिंह शेखावत को प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता था। हाईस्कूल करने के पश्चात् उन्होंने जयपुर के 'महाराजा कॉलेज' में दाखिला ले लिया। उन्हें प्रवेश लिए अधिक समय नहीं हुआ था कि पिता का देहांत हो गया। अब शेखावत जी पर परिवार के आठ प्राणियों के भरण-पोषण का भार आ पड़ा। इस कारण उन्हें हल हाथ में उठाना पड़ा। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन उसमें मन नहीं रमा और त्यागपत्र देकर वापस खेती करने लगे। वर्ष 1941 में भैरोंसिंह शेखावत का विवाह सूरज कंवर से कर दिया गया।

भैरोंसिंह शेखावत जनसंघ के संस्थापक काल से ही जुड़ गये और 'जनता पार्टी' तथा 'भाजपा' की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1952 में वे दस रुपये उधार लेकर दाता रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए। इस समय उनका चुनाव चिह्न 'दीपक' था। इस चुनाव में उन्हें सफलता मिली और वे विजयी हुए। इस सफलता के बाद उनका राजनीतिक सफर लगातार चलता रहा। वे दस बार विधायक, 1974 से 1977 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। अपने लम्बे राजनीतिक सफर में भैरोंसिंह शेखावत 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। भैरोंसिंह शेखावत का निधन 15 मई 2010 को हुआ।

भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, बालिकाओं का उत्थान व उनका कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार पर बल दिया। उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों तक अधिकारों का लाभ पहुंचाना था। ग़रीबों की भलाई के लिए उन्होंने कई योजनाएं क्रियान्वित की, जैसे- 'काम के बदले अनाज योजना', 'अंत्योदय योजना', 'भामाशाह योजना', 'प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम' आदि। सच तो यह है कि अपनी योजनाओं के माध्यम से शेखावत जी ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का जो सपना देखा था, वह आज काफ़ी हद तक साकार हो रहा है। राजनीति के इस माहिर खिलाड़ी ने सरकार में रहते हुए ऐसे ना जाने कितने काम किये, जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। उनके द्वारा शुरू किये गये 'काम के बदले अनाज' योजना की मिसाल दी जाती है। लोगों की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने नई निवेश नीतियां भी शुरू की, जिनमें उद्योगों का विकास, खनन, सड़क और पर्यटन शामिल है। उन्होंने हेरिटेज होटल और ग्रामीण पर्यटन जैसे योजनाओं को लागू करने का सिद्धांत दिया, जिससे राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति बेहतर रही। दरअसल, आजीवन राष्ट्रहित में काम करने वाले जननेता शेखावत जी ग़रीबों के सच्चे सहायक थे। उन्होंने कहा कि मैं ग़रीबों और वंचित तबके के लिए काम करता रहूंगा, ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण तरीक़े से इस्तेमाल कर सकें। ■

'ये बहुत ही भावुक पल हैं'

प्रधानमंत्री द्वारा डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल को 26 अलीपुर रोड स्थित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक देश को समर्पित किया। संविधान निर्माता अम्बेडकर को समर्पित इस स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री ने 21 मार्च 2016 को रखी थी। यह स्मारक भारत के संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदान को समर्पित है। गौरतलब है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में मऊ में 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था और वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1 नवम्बर, 1951 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद, डॉ. अम्बेडकर 26, अलीपुर रोड, दिल्ली में सिरोही के महाराजा के घर में रहने लगे, जहां उन्होंने 6 दिसम्बर, 1956 को आखिरी सांस ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दिसम्बर, 2003 को महापरिनिर्वाण स्थल राष्ट्र को समर्पित किया था। बाबा साहब के अनुयायी उस स्थान को पवित्र मानते हैं, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। चूंकि इस इमारत को संविधान निर्माता बाबा साहब के स्मारक के रूप में निर्मित किया गया है, इसलिए इमारत को पुस्तक का आकार दिया गया है।

इस इमारत में एक प्रदर्शनी स्थल, स्मारक, बुद्ध की प्रतिमा के साथ ध्यान केन्द्र , डॉ. अम्बेडकर की 12 फुट की कांस्य प्रतिमा है। प्रवेश द्वार पर अशोक स्तम्भ (11 मीटर) और पीछे की तरफ ध्यान केन्द्र बनाया गया है। इसमें सीवेज शोधन संयंत्र, वर्षा जल सिंचाई प्रणाली और नेट मीटरिंग के साथ छत पर सौर ऊर्जा (50 किलोवाट) संयंत्र स्थापित किया गया है। इमारत 7374 वर्ग मीटर क्षेत्र में खड़ी की गई है और इसका कुल निर्मित क्षेत्र 6758 वर्ग मीटर है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से कितनी सरकारें आईं, कितना वक्त गुजर गया, लेकिन जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम दशकों के बाद आज हो रहा है और इसलिए ये जगह, इस जगह पर आना इस कार्यक्रम में शामिल होना, उस जमीन पर खड़े होना जहां बाबा साहेब ने आखिरी समय गुजारा था; ये बहुत ही भावुक पल है। बाबा साहेब के नाम पर उनकी याद में निर्मित ये राष्ट्रीय स्मारक, देश की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। कल बाबा साहेब की जन्म जयंती है और उसके एक दिन पूर्व यहां इस समारोह का आयोजन बाबा साहेब के प्रति हम सबकी अटूट श्रद्धा को प्रकट करता है, सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है।

श्री मोदी ने कहा कि अब आज से ये 26 अलीपुर रोड पर बना ये स्मारक दिल्ली ही नहीं, देश के मानचित्र पर हमेशा-हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यहां आकर लोग बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी बातों को, उनकी दृष्टि को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये स्मारक एक असाधारण व्यक्ति के असाधारण जीवन का प्रतीक है। ये स्मारक मां भारती के होनहार सपूत के आखिरी दिनों की यादगार है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस स्मारक को एक किताब की शक्ल में तैयार किया गया है। ये किताब हमारे देश का वो संविधान जिसके शिल्पकार डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे। जिस संविधान को रचकर, बाबा साहेब ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक बने रहने का रास्ता सुनिश्चित किया था। आज की नई पीढ़ी, जब इस मैमोरियल में यहां आएगी, तो यहां लगी प्रदर्शनी देखकर, यहां

म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनके जीवन के अहम पड़ावों को देखकर, बाबा साहेब के जीवन के अथाह विस्तार को वो भलीभांति समझ पाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं, उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल- उनकी शिक्षाभूमि, नागपुर में दीक्षाभूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और यहां दिल्ली में इस नेशनल मेमोरियल के तौर पर उनकी महापरिनिर्वाण भूमि। ये स्थान, ये तीर्थ, सिर्फ ईंट-गारे की इमारत भर नहीं हैं, बल्कि जीवंत संस्थाएं हैं, आचार-विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं। ■

जस्टिस लोया केस

जिसने लगभग न्यायिक द्रोह की स्थिति बना दी

अरुण जेटली

मैंने जज लोया मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ा जो तीन जजों की तरफ से न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा 114 पन्नों के फैसले को पढ़ने के बाद ये साफ हो गया कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी, कुछ रिटायर्ड जज और कुछ वकीलों ने जज लोया मामले के बारे में भ्रामक जानकारियां दीं। तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण और कुछ समूहों द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच जरूरी है, क्योंकि मुझे संदेह है कि इस तरह के प्रयास भविष्य में भी किए जाएंगे।

सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह

सोहराबुद्दीन मामले में अमित शाह की कोई भूमिका नहीं थी। यह राज्य पुलिस के माध्यम से कुछ केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निष्पादित एक कथित मुठभेड़ था। मैंने 27 सितंबर, 2013 को तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को इन सभी तथ्यों को विस्तार से बताते हुए एक विस्तृत पत्र लिखा था। अमित शाह को मुठभेड़ के साथ जोड़ने के लिए प्रारम्भिक साक्ष्य जिन दो व्यक्तियों - रामानभाई पटेल और दशरथभाई पटेल द्वारा दिया लाया गया था, वे भूमाफिया थे। दोनों ने दावा किया कि उनके खिलाफ पारित PASA के तहत एक निवारक आदेश वापस करने के लिए वे अमित शाह के कार्यालय गए थे, इसके लिए उन्होंने उनसे 75 लाख रुपये की मांग की थी, जिन्हें अजय पटेल के माध्यम से किश्तों में कुछ विशिष्ट तिथियों पर भुगतान किया गया था। इस बैठक के दौरान अमित शाह ने कुछ अनौपचारिक बयान दिया था कि सोहराबुद्दीन को क्यों मारा जाना चाहिए था।

कथित सबूत इतने झूठे थे जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आगंतुकों के पंजीकरण रजिस्टर बताते हैं कि दोनों कभी अमित शाह के घर गये ही नहीं थे। दूसरा, दो पटेलों में से किसी के खिलाफ कभी भी एक पर भी PASA आदेश जारी नहीं था। तीसरा, पटेल द्वारा 75 लाख रुपये की किस्तों की कथित रूप से भुगतान की जाने वाली तिथियों में से कुछ तारीखें ऐसी थी, जिन पर अजय पटेल का पासपोर्ट दिखाता है कि वह भारत में नहीं थे। इस तथ्यहीन सबूत पर किसी भी अदालत से अमित शाह को बेल मिल जाती। उन्हें जमानत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि यह वास्तव में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का मामला नहीं था। इससे अमित शाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस न्यायाधीश ने उनके खिलाफ इस तथ्यहीन आरोप को सुना था। इस मामले में अमित शाह आरोपमुक्त कर दिये गये थे। कुछ लोगों ने मुंबई उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्वहन आदेश को चुनौती दी। चुनौती खारिज कर दी गई थी।

कारवां पत्रिका की एक फर्जी खबर

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, 1 दिसंबर, 2014 के शुरुआती घंटों में रवि भवन, नागपुर में न्यायाधीश लोया को छाती का दर्द हुआ था।

उनके साथ दो अन्य जिला न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायपालिका के दो अन्य सहयोगियों को फोन किया और इस प्रकार चार जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों ने न्यायाधीश लोया को अपनी कार में अस्पताल ले गए, जहां उनका ईसीजी किया गया, प्रारंभिक उपचार दिया गया था और मामला एक विशेष कार्डियोलॉजी अस्पताल में भेजा गया। जब तक वह कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे, शायद स्थिति खराब हो गई और उनका निधन हो गया। पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से असफल रहा।

उनके हृदय आघात की अवधि के दौरान, केवल चार जिला न्यायाधीशों, डॉक्टरों और दोनों अस्पतालों के चिकित्सा कर्मचारियों की उनके पास पहुंच थी। चार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दूसरे अस्पताल पहुंचे, जिसने एक तीसरे अस्पताल द्वारा एक पोस्ट मॉर्टम की सिफारिश की और कार्डियक मुद्दों के कारण मृत्यु का संकेत दिया। उनके पार्थिव शरीर को उनके घर में दो मजिस्ट्रेट लेकर गये। सभी संबंधित व्यक्तियों और न्यायाधीश लोया के परिवार के सदस्यों के बयान को समझने के बाद, जिन्होंने मृत्यु के प्राकृतिक कारणों को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि निश्चित रूप से प्राकृतिक कारणों से यह मौत थी और कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं थी। कारवां पत्रिका की कहानियां और जांच नकली समाचार का सजीव उदाहरण है। यह गपशप या अफवाहों की गड़बड़ी के कारण नहीं थी, लेकिन एक जान बूझकर पैदा की गई नकली खबर थी, जहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विवाद उत्पन्न करने के लिए झूठ का निर्माण किया गया था।

संस्थान विघटनकर्ता

भारत में अधिकांश अदालतों में ऐसे वकीलों का एक समूह है जो सार्वजनिक हित में उठाए जाने वाले मुददों को ढूंढ़ते हैं। यह पूरी तरह से स्वीकार्य है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन सार्वजनिक हितों के क्रूसेडरों ने 'संस्थान विघटनकर्ता' का रूप ले लिया है। वे झूठे कारणों को उठाते हैं और गहरी प्रतिबद्धता की भावना के साथ झूठ का पीछा करते हैं, डराने वाली वकालत में लिप्त होते हैं, अपने विरोधियों के साथ कर्कश होते हैं और जजों के साथ अशिष्ट होते हैं। वे दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो भी झूठ बोलते हैं वे अटल सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उन्हें दो मजबूत सहयोगी मिल गए हैं। मीडिया का एक हिस्सा उन्हें प्रचार देता है। साथ ही, हमने मुख्यधारा के दल से कांग्रेस हाशिये में सिमटते देखा है। पार्टी अपने वकीलों या अन्य माध्यम से इन 'संस्थान विघटनकर्ताओं' के साथ खड़े होने के लिए तैयार है और इस प्रकार अदालतों की धमकी वकालत का नया रूप बन गया है। एक विभाजित अदालत स्वयं इन धमकीपूर्ण रणनीति का जवाब देने के लिए असहाय पा रहा है। निर्णय इंगित करता है कि इस मामले में तथ्यों को एकतरफा 'सत्य' रूप में अंतरंग रणनीति की तरह उपयोग किया गया था। 'संस्थान विघटनकर्ता' अब न्यायाधीश लोया मौत के मामले के झूठ के प्रवक्ता बन गए हैं।

महाभियोग रुपी हथियार

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग केवल उनकी 'अक्षमता' या 'सिद्ध दुर्व्यवहार' के मामले में किया जाता है। कांग्रेस पार्टी और उसके मित्रों ने इसका राजनीतिक उपकरण के रूप में का उपयोग करना शुरू कर दिया है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप किसी पद की गरिमा की रक्षा के लिए पद के धारक को हटा देते हैं। हमारे संविधान के तहत महाभियोग की शक्ति एक अंतर-संस्थागत उत्तरदायित्व का हिस्सा है। राजनीतिक दलों के रूप में संसद के दोनों सदनों को महाभियोग की न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार एक न्यायिक शक्ति का प्रयोग संसद में सन्निहित किया गया है। प्रत्येक सदस्य को न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से तथ्यों और सबूतों की समीक्षा करनी है। निर्णय पार्टी लाइनों पर नहीं हो सकते हैं या व्हीप द्वारा निर्धारित नहीं हो सकते हैं। 'सिद्ध दुर्व्यवहार' के मामले में शक्ति का प्रयोग किया जाता है। उस शक्ति के उपयोग को 'ट्रिविलाइज' करना एक खतरनाक घटना है। राज्य सभा के पचास हस्ताक्षर या लोक सभा सदस्यों के सौ हस्ताक्षर एकत्र करना मुश्किल नहीं है, यहां तक कि व्यर्थ मुद्दों पर भी मुश्किल नहीं है। शक्ति को डरावनी रणनीति के रूप में उपयोग करने के लिए जब न तो आपके पास 'सिद्ध दुर्व्यवहार' या आपकी तरफ की संख्या का मामला है, तो न्यायिक आजादी के लिए एक गंभीर खतरा है। आज दायर महाभियोग प्रस्ताव के लिए मेरी प्रारंभिक प्रतिक्रिया स्पष्ट है। न्यायमूर्ति लोया की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी के झूठ के खारिज होने के बाद यह एक बदला लेने वाली याचिका है। यह एक न्यायाधीश को डराने और अन्य न्यायाधीशों को एक संदेश भेजने का प्रयास है, कि यदि आप हमारे साथ सहमत नहीं हैं, तो पचास सांसद बदला लेने के लिए पर्याप्त हैं। दिये गए आरोप वे मुद्दे हैं जो न्यायिक आदेशों या उदाहरण के द्वारा तय किए गए हैं। कुछ मुद्दे पुराने, तुच्छ हैं और न्यायिक कार्यों के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है।

एक विभाजित न्यायालय

यदि 'इंस्टीट्यूशन डिफॉल्टर्स' और महाभियोग की डरावनी रणनीति न्यायिक आजादी के लिए खतरे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा विभाजित अदालत है। अब जब न्यायाधीश लोया मौत के मामले की झूठ की साजिश निश्चित रूप से स्थापित की गई है, तो कुछ विचार मेरे दिमाग में आते हैं। विवादास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, सभी अनुभवी हैं और मेरे विचार में उच्च गरिमा वाले व्यक्ति हैं। क्या उन्होंने जज लोया मामले के तथ्यों की टिप्पणी करने से पहले जांच की थी, भले ही केवल एक लिस्टिंग मुद्दे पर? क्या किसी को लंबित मामले पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि कई टिप्पणियों ने पूर्वाग्रह के माहौल का निर्माण किया और वर्तमान मामले में बोले गए झूठ की विश्वसनीयता से भी जोड़ा? क्या महाभियोग प्रस्ताव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रत्यक्ष परिणाम है? क्या इस महाभियोग ने एक उदाहरण तय किया है कि भारत में राजनीतिक दलों ने विवादित मामलों को सुनाने वाले न्यायाधीशों को धमकी देने के लिए एक उपकरण के रूप में महाभियोग का इस्तेमाल किया होगा? आज क्या हो गया है कि भारतीय न्यायपालिका को इसे कुछ लोगों के दुर्व्यवहार की कीमत चुकानी पड़ रही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था और राजनीतिक दूरदर्शिता के लिए इससे कोई बेहतर समय नहीं है। ■

लेखक केन्द्रीय वित मंत्री हैं

भारत और ब्रिटेन के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत-स्वीडन के बीच रक्षा, साइबर सिक्यॉरिटी पर समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 से 20 अप्रैल के दौरान स्वीडन और ब्रिटेन की सफल यात्रा की। श्री मोदी द्वारा स्वीडन की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल को स्टॉकहोम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और 18 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक और रचनात्मक विचार विमर्श किया। साथ ही, श्री मोदी ने लंदन में 19 और 20 अप्रैल को राष्ट्रमंडल देशों शासनाध्यक्षों की होने वाली बैठक में हिस्सा लिया।

भारत–स्वीडन के बीच रक्षा, साइबर सिक्यॉरिटी पर हुए समझौते

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें रक्षा और साइबर सुरक्षा प्रमुख तौर पर शामिल थे। दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने इनोवेशन, आपसी सहयोग बढ़ाने और रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग से रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रवीश कुमार ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच इनोवेशन, व्यापार और निवेश, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर सकारात्मक बातचीत हुई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि भारत के 'मेक इन इंडिया' मिशन में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है। 2016 में मुंबई में हमारे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लवैन स्वयं बहुत बड़े बिज़नेस डेलीगेशन के साथ शामिल हुए थे। भारत से बाहर 'मेक इन इंडिया' का सबसे प्रमुख कार्यक्रम भी पिछले वर्ष अक्टूबर में स्वीडन में आयोजित किया गया था। हमारे लिए ये बहुत हर्ष और गर्व का विषय है की स्वयं प्रधानमंत्री श्री लवैन इसमें शामिल हुए थे।

श्री मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि आज की हमारी बातचीत में सबसे प्रमुख विषय यही थी कि भारत के विकास से बन रहे अवसरों में स्वीडन किस प्रकार भारत के साथ win-win partnership कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप आज हमने एक इनोवेशन पार्टनरशिप और जॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति की है।

उन्होंने कहा कि इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट-अप्स, विनिर्माण आदि हमारी साझेदारी के प्रमुख आयाम हैं। इनके साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी, शहरी यातायात, कचड़ा प्रबंधन जैसे अनेक विषयों पर भी ध्यान दे रहे हैं, जो भारत के लोगों की क्वालिटी ऑफ़ लाइफ से जुड़े विषय हैं।

भारत एवं नार्डिक देशों के बीच शिखर सम्मेलन

स्टॉकहोम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, डेनमॉर्क के

प्रधानमंत्री श्री लार्स लोक्के रैसमुस्सेन, फिनलैण्ड के प्रधानमंत्री श्री जुहा सिपिला, आइसलैण्ड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स्डोट्टिर, नार्वे की प्रधानमंत्री एरना सोलबर्ग और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने भारतीय और स्वीडिश प्रधानमंत्रियों की मेजबानी में आयोजित शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्रियों ने भारत और नार्डिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिये प्रतिबद्धता जतायी और अपनी बातचीत में वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, नवोन्मेष और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्रियों ने समावेशी विकास और स्थायी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में मुक्त व्यापार के महत्व पर बल दिया।

प्रधानमंत्रियों ने माना कि आपस में जुड़े हुये विश्व में नवाचारों और डिजिटल बदलाव प्रगति को बढ़ावा देने वाले हैं और साथ ही उन्होंने भारत एवं नार्डिक देशों के विकसित होते संबंधों पर बल दिया। विश्व में नवाचारों में नार्डिक देशों की नेतृत्वकारी भूमिका पर भी जोर दिया गया। नवाचारों के लिये नार्डिक देशों के दृष्टिकोण, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं अकादमिक जगत के बीच सशक्त सहयोग की विशेषता पर आधारित है, की चर्चा की गयी और भारत की प्रतिभा और दक्षता के समृद्ध संसाधनों के साथ सामंजस्य की पहचान की गयी।

शिखर सम्मेलन में समृद्धि और स्थायी विकास हासिल करने के लिये शामिल हैं, के महत्व पर बल दिया गया। प्रदूषण रहित तकनीकों, समुद्र पर आधारित समाधानों, पत्तनों के आधुनिकीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, जीवन-विज्ञान और कृषि क्षेत्र में नार्डिक समाधानों की चर्चा की गयी। शिखर सम्मेलन ने नार्डिक स्थायी नगर विकास परियोजना, जो कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की मदद के लिये लक्षित है, का स्वागत किया।

भारत और ब्रिटेन के बीच नौ समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत और ब्रिटेन ने 18 अप्रैल को तकनीकी, व्यापार और निवेश के मुद्दों समेत नौ समझौतों पर दस्तखत किए। अंतरराष्ट्रीय अपराधों को खत्म करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए भी सहमति पत्र पर दस्तखत किए। अपराधियों के रिकॉर्ड के आदान-प्रदान के साथ ही संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए भी समझौता किया गया। भारत और ब्रिटेन ने साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध में समझौते के अलावा, साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर भी समझौते किए।

यही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की और साझा हितों पर बातचीत की। इसके अलावा श्री मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने लंदन में स्थित जैव चिकित्सा संस्थान फ्रांसिस क्रिक संस्थान का दौरा भी किया। दोनों नेताओं ने क्रिक में काम कर रहे 33 भारतीय वैज्ञानिकों में से कुछ वैज्ञानिकों से मुलाकात की। श्री मोदी ने संस्थान को उनके अग्रणी काम और स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों के लिए बधाई दी।

भारत और ब्रिटेन की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि साझा और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए ब्रिटेन और भारत एक साथ और राष्ट्रमंडल सदस्य-राष्ट्रों, राष्ट्रमंडल सचिवालय और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर काम करेंगे। हम राष्ट्रमंडल को पुनर्जागृत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि विशेषकर कम असुरक्षित देशों और युवाओं के संदर्भ मे इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके, जो राष्ट्रमंडल की जनसंख्या का 60% हिस्सा हैं। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक इन चुनौतियों का समाधान निकालने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हम इस शिखर सम्मेलन के आधिकारिक विषय "एक आम भविष्य की ओर" के तहत एकजुट हो रहे हैं। विशेष रूप से इसमें ब्रिटेन और भारत समस्त राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों के लिए अपने निम्न कार्यो के जरिए एक अधिक स्थायी, समृद्ध, सुरक्षित और न्यायसंगत भविष्य के निमार्ण में मदद करने की वचनबद्धता व्यक्त करेंगे।

राष्ट्रमंडल कोष में भारत का योगदान दोगुना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंदन में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय स्तर की बातचीत की। इसके अलावा श्री मोदी ने तकनीकी सहयोग के लिए बनाए गए राष्ट्रमंडल कोष में भारत के योगदान को दोगुना करने की घोषणा की। छोटे द्वीपीय देशों को विकासात्मक सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई। राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की सरकार के प्रमुखों की बैठक (चोगम) के कार्यकारी सत्र के दौरान श्री मोदी ने कहा कि छोटे देशों और छोटे द्वीपीय देशों की क्षमता निर्माण की जरूरत है। वह भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क स्थित भारत के स्थायी मिशन के माध्यम से वह राष्ट्रमंडल सदस्य देशों के लिए छोटी परियोजनाओं में हिस्सा लेता रहेगा। इसके अलावा श्री मोदी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मदद से भारत में 16 साल से कम उम्र के 30 लड़के और 30 लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की भी घोषणा की।

पत्रकारों के साथ एक वार्ता में विदेश मंत्रालय की सचिव (पश्चिम) रुची घनश्याम ने कहा कि भारत इन छोटे द्वीपीय और तटीय देशों की क्षमता निर्माण में मदद करने जा रहा है। इसके लिए गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................. (2)...................................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :................................. दिनांक :........................... बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

वेस्टमिनिस्टर लंदन में 'भारत की बात, सबके साथ' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

10, डाउनिंग स्ट्रीट (लंदन) में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

स्टाकहोम (स्वीडन) में स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

स्टाकहोम (स्वीडन) में भारतीय समुदाय का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20

26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक देश को समर्पित करने के बाद डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत

नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में डॉ.भीमराव अम्बेडकर जयंती पर दीप प्रज्ज्वलित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और साथ में भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल और भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री विनोद कुमार सोनकर